छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
ए-25, वी.आई.पी. एस्टेट, वी.आई.पी. क्लब के सामने, रायपुर - 492007

दूरभाष- 4065100 से 4065110 फैक्स - 2283594
ई-मेल : mfpfed.cg@nic.in वेबसाईट : www.cgmfpfed.org

अधिसचना क्रमांक ते.प.(निरस्त)-LXI **दिनांक 20-08-2015**

वर्ष 2014 एवं विगत वर्षों के क्रेता करारनामा समाप्त तेन्दूपत्ता लाटों के विक्रय हेतु आनलाइन ई-नीलाम सूचना

प्राक्कथन

- चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर (जिसे इसके पश्चात् संघ कहा गया है) द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2014 एवं विगत वर्षों के निरस्त व करारनामा समाप्त तेंदूपत्ते के लाटों का निर्वर्तन किया जाना है ।

अतएव अब संघ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से उक्त संग्रहित होने वाले तेंदूपत्ते के क्रय के लिए इच्छुक व्यक्तियों / पंजीकृत फर्मों / विधिक कंपनियों से ई-नीलाम में भाग लेने हेतु आमंत्रित करता है । ई-नीलाम सूचना **(परिशिष्ट I से XII** तक तथा अनुसूची सहित) संघ की वेबसाईट **www.cgmfpfed.org** तथा आनलाइन ई-नीलाम के सर्विस प्रोवाईडर के पोर्टल **www.ncdexspot.com** से निम्नानुसार तिथि से डाउनलोड किये जा सकते हैं :-

ई-नीलाम प्रारम्भ होने की तिथि एवं समय	ई-नीलाम समाप्त होने की तिथि एवं समय	जिस तिथि से ई-नीलाम सूचना डाउनलोड की जा सकती हैं
11.09.2015 प्रातः 11.00 बजे से	17.09.2015 दोपहर 16.00 बजे तक (30 मिनट के 3 extensions अतिरिक्त)	04.09.2015

परिशिष्ट - I
(निबंधन एवं शर्तें)

2. परिभाषायें, ई-नीलाम के निबंधन एवं शर्तें तथा बोलीदारों के लिए निर्देश -

इस सूचना, इसकी अनुसूची एवं इसके विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये विभिन्न शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो **परिशिष्ट - I** में सम्मिलित "ई-नीलाम के निबंधन एवं शर्तें तथा बोलीदारों के लिए निर्देश", में दिए गए अनुसार होंगी । ये "ई-नीलाम के निबंधन एवं शर्तें तथा बोलीदारों के लिए निर्देश" इस ई-नीलाम सूचना के अभिन्न अंग हैं और यह समझा जावेगा कि इस सूचना में समस्त प्रयोजनों के लिये सम्मिलित हैं ।

अनुसूची
(तेन्दूपत्ता की लाट सूची)

3. लाट लिस्ट एवं करार अवधि -

इस सूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित गोदामों में भण्डारित तेंदूपत्ते के लाटों के क्रय के लिये दिनांक 30.01.2016 को समाप्त होने वाली करार अवधि के लिये एतद् द्वारा ई-नीलाम आयोजित की जाती है ।

4. पंजीयन फार्म आदि -

परिशिष्ट-II (नीलाम प्रत्रक)
परिशिष्ट-III
(बोलीदार का करारनामा)

(I) NCDEX e Markets Ltd. (NeML) का पंजीयन फार्म, नीलाम पत्रक का नमूना (**परिशिष्ट - II**), बोलीदार का करारनामा (**परिशिष्ट - III**) मय अन्य परिशिष्टों के संघ की ऊपर दर्शित वेबसाइट अथवा आनलाइन ई-नीलाम के सर्विस प्रोवाईडर के पोर्टल **www.ncdexspot.com** से डाइनलोड किये जा सकते हैं ।

(II) बोलीदार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने पंजीयन फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों की प्रति संलग्न किया है ।

(III) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A के अनुसार बोलीदार को स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) पंजीयन फार्म में (निर्धारित स्थान पर) अंकित करना एवं PAN कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

5. ई-नीलाम में भाग लेना -

(I) बोलीदार स्वयं यह सुनिश्चित करेगा कि उसने ई-नीलाम में भाग लेने के पूर्व बोलीदार का करारनामा (**परिशिष्ट - III**) निष्पादित किया है जो कि ई-नीलाम में भाग लेने हेतु अनिवार्य है ।

परिशिष्ट - XI
(बोलीदारों को ई-नीलाम में भाग लेने हेतु अनुदेश

(Time Schedule)
परिशिष्ट - XII

(II) बोलीदारों को आनलाइन ई-नीलाम में भाग लेने हेतु विस्तृत अनुदेश (**परिशिष्ट - XI**) तथा आनलाइन ई-नीलाम के सर्विस प्रोवाईडर के वेबसाईट **www.ncdexspot.com** तथा संघ के वेबसाईट **www.cgmfpfed.org** पर उपलब्ध होगा तथा आनलाइन ई-नीलाम की Time Schedule (**परिशिष्ट - XII**) में दर्शित दिनांक एवं समय के अनुसार होगी । ई-नीलाम से सम्बंधित किसी भी प्रकार की सहायता हेतु NCDEX e Markets Ltd. (NeML) के Business Development Managers से सम्पर्क किया जा सकता है ।

6. सत्यंकार की राशि -

(I) प्रत्येक बोली, सत्यंकार की राशि जो तेन्दूपत्ता की मात्रा के आधार पर बोली से परिगणित क्रय मूल्य की 10% की राशि से किसी भी दशा में कम नहीं होगी, के साथ शर्त क्रमांक 15(I) में दर्शाये विवरण अनुसार प्रस्तुत की जावेगी । अन्य किसी रूप में सत्यंकार की राशि जमा करने पर बोली अंतिम रूप से अमान्य किये जाने योग्य होगी ।

(II) दिनांक 24.09.2015 को संघ के वेबसाइट पर लाटों के लिये अधिकतम बोली प्रस्तावित करने वाले बोलीदारों की सूची उपलब्ध कराये जाने पर दिनांक 30.09.2015 तक क्रय मूल्य की 15 प्रतिशत की राशि अतिरिक्त जमा करनी होगी । उक्त सूची में दर्शाये बोलीदार द्वारा यदि निर्धारित अवधि तक अतिरिक्त 15% की सत्यंकार की राशि जमा नहीं कराई जाती है, तो बोलीदार की सत्यंकार में जमा राशि संघ के स्व विवेक पर राजसात कर ली जावेगी तथा उसको कोई लाट स्वीकृत नहीं किया जावेगा तथा उसको 3 वर्ष की अवधि के लिये संघ द्वारा काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा ।

7. ई-नीलाम कार्यक्रम -

ई-नीलाम पूर्व में प्रकाशित तिथि एवं समय (**परिशिष्ट - XII**) के अनुसार सर्विस प्रोवाईडर के पोर्टल **https://cgmfpfed.neml.in** में प्रारम्भ होगा । बोलीदार को प्रथमतः auction bids page में वनोपज TENDUPATTA TERMINATED LOTS का चयन करना होगा । आनलाइन बोली केवल रु. प्रति मानक बोरा में Time Schedule (**परिशिष्ट - XII**) में दर्शित तिथि एवं समय के अन्दर भरना होगा ।

8. क्रेता करारनामा का निष्पादन -

परिशिष्ट - VIII (बोलीदारवार आबंटित लाटों की सूची) परिशिष्ट - IX (सफल बोलीदारों की सूची) परिशिष्ट - X (असफल बोलीदारों की सूची)

(I) ई-नीलाम में लिये गये निर्णय अनुसार सफल बोलीदारों को आवंटित लाटों की सूची संघ की बेवसाइट पर **परिशिष्ट - VIII** में उपलब्ध रहेगी । सफल बोलीदारों की सूची एवं असफल बोलीदारों की सूची संघ की बेवसाइट **www.cgmfpfed.org** पर क्रमशः **परिशिष्ट - IX** एवं **परिशिष्ट - X** में उपलब्ध रहेगी । सफल बोलीदार का प्रस्ताव के स्वीकृत होने की सूचना ई-मेल द्वारा दी जावेगी और ऐसी स्वीकृति जारी होने की तिथि से सम्बंधित तेन्दूपत्ते के लाट के क्रय की संविदा बोलीदार और संघ के बीच अस्तित्व में आ गई मानी जावेगी एवं बोलीदार लाट का क्रेता माना जावेगा ।

परिशिष्ट-IV (क्रेता का करारनामा)

(II) सफल बोलीदार को, उसके प्रस्ताव की संघ द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के 15 दिन के अन्दर, प्रत्येक लाट के लिए **परिशिष्ट - IV** (क्रेता का करारनामा) में दिये गये प्रपत्र में करारनामा मुख्य वन संरक्षक अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति के समक्ष निष्पादित करना होगा । बोलीदार के द्वारा 2000/- रूपये बतौर फीस जमा किये जाने पर इस अवधि में मुख्य वन संरक्षक के द्वारा 15 दिन की वृद्धि की जा सकेगी । इस प्रकार 15 वां दिन/7वां दिन यदि सार्वजनिक अवकाश रहता है तो करारनामा निष्पादन आगामी कार्य दिवस में किया जा सकेगा। 15 दिन/7 दिन की अवधि की गणना संघ मुख्यालय से आदेश जारी होने की तिथि के आगामी दिन से की जावेगी ।

(III) करारनामे के निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में क्रेता की नियुक्ति प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निरस्त की जा सकेगी और ऐसे निरस्तीकरण पर सम्बंधित इकाई के क्रय मूल्य के 10% की राशि सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर ली जायेगी और वन संरक्षक द्वारा बोलीदार को ऐसी अवधि के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा जो 3 वर्ष तक हो सकती है । इसके अतिरिक्त यदि लाट/लाटों, जिनके लिये क्रेता की नियुक्ति निरस्त की गई है, के पश्चात्वर्ती निर्वर्तन पर संघ को हुई हानि, यदि कोई हो, क्रेता को वहन करनी होगी और यदि ऐसी हानि की रकम क्रेता के द्वारा, उसको इस संबंध में जारी की गई मांग सूचना के 15 दिन के अन्दर, जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे भू राजस्व के बकाया बतौर वसूली योग्य होगी, परन्तु यदि ऐसे पश्चात्वर्ती निर्वर्तन में क्रय मूल्य से अधिक राशि प्राप्त होती है तो क्रेता का इस अधिक राशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा ।

9. देय राशि का भुगतान -

(अ) क्रेता देय राशि का भुगतान, क्रेता करारनामा के प्रावधानानुसार, चार बराबर किश्तों में निम्नांकित तिथियों को अथवा उनके पूर्व करेगा :-

किश्त क्रमांक	**तिथि**
प्रथम	16.11.2015
द्वितीय	30.11.2015
तृतीय	15.12.2015
चतुर्थ	30.12.2015

(ब) **सम्पूर्ण क्रय मूल्य के भुगतान पर रिबेट -**

यदि क्रेता द्वारा प्रथम किश्त की देय दिनांक तक किसी लाट का सम्पूर्ण क्रय मूल्य समस्त देय करों सहित भुगतान किया जाता है तो उसे क्रय मूल्य की राशि के 2% के बराबर राशि की छूट दी जावेगी । यदि क्रेता इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो वह सम्पूर्ण क्रय मूल्य की 98% राशि तथा सम्पूर्ण क्रय मूल्य (100%) पर समस्त देय करों की राशि का भुगतान करेगा । यदि प्रथम किश्त की देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है तो इस उपकंडिका के प्रयोजन हेतु प्रथम किश्त की देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी ।

10. पत्तों का परिदान -

(I) किश्त/किश्तों के भुगतान के उपरांत पत्तों का परिवहन/निकासी **परिशिष्ट - I** एवं **IV** में दिये गये प्रावधानों के अनुसार होगा ।

(II) यदि क्रेता बैंक गारंटी के विरूद्ध तेंदूपत्ते का परिदान लेने की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तब वह ऐसा क्रेता करारनामा की कंडिका-6 में दर्शाई प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगा । बैंक गारंटी **परिशिष्ट -V** में दिये गये प्रपत्र में होगी ।

11. परिशिष्ट -

परिशिष्ट - I से **V** तथा अनुसूची जिनका कि सन्दर्भ उपर दिया गया है तथा **परिशिष्ट - VI** से **XII** (**परिशिष्ट - II, III, V** तथा **VIII** से **XII** केवल अंग्रेजी में उपलब्ध होंगे) जो कि संघ की अधिसूचना क्रमांक ते.प.(निरस्त)-LXI दिनांक 20.08.2015 के साथ संलग्न है, समस्त प्रयोजनों के लिये इस ई-नीलाम सूचना के परिशिष्ट है उनको संदर्भ के लिये देखें ।

12. निबंधनों एवं शर्तों का स्वीकार करना -

इस ई-नीलाम के संदर्भ में ई-नीलाम में भाग लेने के कार्य को ई-नीलाम सूचना की शर्तों तथा **परिशिष्ट - I** में दिये गये निबंधनों एवं शर्तों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा ।

13. हानि की राशि की गणना -

क्रेता करारनामा निष्पादन न किये जाने अथवा करारनामा समाप्त होने की दशा में हानि की राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी -

संबंधित निविदा/ई-नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा/ई-नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां ।

यदि कोई क्रेता शासन/संघ के विरुद्व अदालत में जाता है तथा निर्णय शासन/संघ के पक्ष में होता है तो क्रेता अदालती कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये जिम्मेदार होगा, इसकी वसूली क्रेता से ब्याज सहित की जावेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर - 492007

परिशिष्ट - I

ई-नीलाम के निबंधन एवं शर्तें तथा बोलीदारों के लिए निर्देश जो ई-नीलाम सूचना क्रमांक ते.प.(निरस्त)-LXI दिनांक 20.08.2015 के भाग है

ई-नीलाम के निबंधन व शर्तें तथा बोलीदारों के लिए निर्देश और ई-नीलाम सूचना एवं उसकी अनुसूची व विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें नीचे दिये अनुसार हैं । ये ई-नीलाम सूचना के अभिन्न अंग होंगे ।

1. परिभाषाएं -

इस अधिसूचना तथा इसके परिशिष्टों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(i) **''अधिनियम''** से तात्पर्य तत्समय प्रवृत छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 (1964 का स. 29) से हैं ।

(ii) **''अभिकर्ता''** से तात्पर्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अंर्तगत नियुक्त अभिकर्त्ता से है ।

(iii) **''देय राशि''** से तात्पर्य लाट के क्रय मूल्य तथा उस पर देय कर के योग से है, जो सफल बोलीदार को देनी होगी ।

(iv) **''परिशिष्ट''** से तात्पर्य ई-नीलाम सूचना के परिशिष्ट से है ।

(v) **''बकाया''** से अभिप्रेत है, बोलीदार के विरूद्ध बकाया ऐसी कोई राशि जो छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग अथवा संघ को शोध्य है और जिसकी सूचना ई-नीलाम समाप्ति की तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व वन विभाग अथवा संघ अथवा उनके पदाधिकारी द्वारा उसे पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गई हो,

(vi) **''संग्रहणकाल''** से तात्पर्य कैलेण्डर वर्ष की अप्रैल से जुलाई तक की अवधि से है,

(vii) **''मुख्य वन संरक्षक''** से तात्पर्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक से है, जो संघ के पदेन महाप्रबंधक भी घोषित है,

(viii) **''जिला यूनियन''** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत कोई जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, जो संघ की सदस्य हो,

(ix) **''वन मंडलाधिकारी''** से तात्पर्य संबंधित वन मंडलाधिकारी से हैं, जो संघ के संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक भी घोषित हैं,

(x) **''संघ''** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर से है।

(xi) **''शासन''** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ शासन से है,

(xii) **''लाट''** से अभिप्रेत है, किसी प्राथमिक सहकारी समिति/वन विभाग द्वारा संग्रहित तेंदूपत्ता जो बोरों में भरकर एक या एक से अधिक गोदामों में गोदामीकृत किया गया है ।

(xiii) **''नियमावली''** से तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 से है ।

(xiv) **''प्राथमिक समिति''** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित जो "जिला यूनियन" की सदस्य हो ।

(xv) **''क्रय मूल्य''** से तात्पर्य उस राशि से है, जो तेन्दूपत्ता लाटों की संग्रहित मानक बोरा में दर्शित मात्रा, को नीचे (xvi) की परिभाषित क्रय दर से गुणा करने पर प्राप्त हो ।

(xvi) **''क्रय दर''** से तात्पर्य बोलीदार के द्वारा प्रस्तावित उस प्रति मानक बोरा बोली से है, जो संघ के द्वारा स्वीकृत की गई हो ।

(xvii) **''परिक्षेत्र अधिकारी''** से तात्पर्य संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी से हैं, जो संघ के पदेन परिक्षेत्र प्रबंधक भी हैं,

(xviii) **''देय कर''** से तात्पर्य लाट के पत्तों के क्रय मूल्य पर समय-समय पर प्रवृत्त देय मूल्य संवर्धित कर, वन विकास उपकर व अन्य सभी कर/उपकर आदि से है,

(xix) **''बोली''** से तात्पर्य उस प्रति मानक बोरा दर (रु. में) (जिसमें मूल्य संवर्धित कर, वन विकास उपकर तथा अन्य कोई कर/उपकर सम्मिलित नही हैं) से है जो बोलीदार विभिन्न लाटों के तेन्दूपत्ता के क्रय के लिए **परिशिष्ट- II** में दिए गए ई-नीलाम पत्रक में अलग-अलग लाट के लिए प्रस्तावित करेगा ।

(xx) **''बोलीदार''** से तात्पर्य उस व्यक्ति अथवा पंजीकृत फर्म या विधिक कंपनी से है, जो इन निबंधनों तथा शर्तों के अधीन, तेंदूपत्ता क्रय करने हेतु बोली प्रस्तुत करता है और इस अभिव्यक्ति में उसका दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे ।

(xxi) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो उपर परिभाषित नहीं हैं, परन्तु जो अधिनियम अथवा नियमावली में परिभाषित हैं, अर्थ वही होगा जो उनके लिए कथित अधिनियम अथवा नियमावली में दिया गया है ।

2. इकाईयों का विवरण -

इकाईयों का विवरण (नाम एवं सीमा) जिसमें से संग्रहण किया जाना है मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 की धारा 3 के अधीन, मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक ते.प/ 11001, दिनांक 26.11.86 तथा पश्चातवर्ती संशोधनों में दिया गया है ।

3. अधिनियम के प्रावधान का लागू होना -

अधिनियम तथा नियमावली के समस्त तत्समय प्रवृत्त प्रावधान जहां तक कि वे क्रेताओं के उपर लागू होते है ई-नीलाम सूचना एवं क्रेता करारनामे के निबंधनों तथा शर्तों के विशेषतः अभिन्न अंग होंगे ।

4. विक्रय "जहाँ है जैसा है" के आधार पर -

(I) शर्त क्रमांक 4(II) के अध्यधीन रहते हुए तेन्दूपत्ते का विक्रय "जहाँ है जैसा है" के आधार पर है । इच्छुक बोलीदार को यह सलाह दी जाती है कि वे उन गोदामीकृत तेन्दूपत्ते के लाटों जिनके लिए वे बोली प्रस्तुत करना चाहते हैं, का स्वयं निरीक्षण कर लें तथा प्रत्येक लाट में तेन्दूपत्ता की गुणवत्ता के साथ साथ उसमें वास्तविक बोरों की उपलब्धता के बारे में भी अपनी संतुष्टि कर लें । बोली प्रस्तुतीकरण के पश्चात् तेन्दूपत्ते की गुणवत्ता या उनके बीड़ी निर्माण हेतु उपयुक्तता के संबंध में किसी भी समय कोई भी विवाद मान्य नहीं किया जायेगा और न ही

बोलीदार की बोली स्वीकृत हो जाने के पश्चात् संघ तेन्दूपत्ते की गुणवत्ता में ह्रास के लिए उत्तरदायी होगा तथा तेन्दूपत्ता क्रेता के उत्तरदायित्व पर गोदाम में भण्डारित रहेगा ।

(II) ठेका तेन्दूपत्ते की अनुसूची में वर्णित मानक बोरों में अधिसूचित मात्रा के क्रय/ विक्रय के लिए होगा । परन्तु यदि किसी लाट में इस ई-नीलाम सूचना में अधिसूचित मात्रा से अधिक संख्या में मानक बोरे हैं, तब क्रेता को उन्हें भी उस लाट के लिए स्वीकृत दर पर अतिरिक्त राशि का भुगतान कर क्रय करना होगा । अतिरिक्त राशि का भुगतान क्रेता द्वारा लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी होने के पूर्व करना होगा । अधिसूचित मात्रा में किसी गणितीय या लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित है तथा किश्तों में तद्नुसार संशोधन किया जावेगा तथा क्रेता को संशोधित मात्रा एवं किश्तों को मान्य करना होगा ।

(III) स्टाक की उल्टा-पल्टी करने या उन्हें किसी अन्य गोदाम में स्थानान्तरित करने का अधिकार, क्रेता को इस आशय की सम्यक् सूचना कि यदि वह चाहे तो उपरोक्त कार्य के समय उपस्थित रह सकता है, दिये जाने के उपरांत संघ/ जिला यूनियन के पास सुरक्षित है ।

5. बोली प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत व्यक्ति आदि -

(I) पंजीयन फार्म पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा यह उल्लेखित किया जायेगा कि वह/वे किस हैसियत से पंजीयन फार्म पर हस्ताक्षर कर रहा है/कर रहे हैं, उदाहरणार्थ, सम्बंधित फर्म के पूर्ण स्वामी अथवा किसी मर्यादित कम्पनी के प्रबंध संचालक, संचालक अथवा सचिव के रूप में । भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों के नाम अभिलिखित होंगे और पंजीयन फार्म पर उनके सम्यक् रूप में नियुक्त अटार्नी द्वारा जिसे मुख्त्यारनामा द्वारा या भागीदारी विलेख में दिये गये अनुसार संविदा संबंधी सभी विषयों में सभी भागीदारों को आबद्ध करने का अधिकार हो, हस्ताक्षर किये जायेंगे । पंजीकृत भागीदारी विलेख की एक सत्य प्रति पंजीयन फार्म के साथ संलग्न की जायेगी जो न करने पर पंजीयन अमान्य किये जाने योग्य होगी । जिस फर्म ने करार किया है, उस फर्म के प्रत्येक भागीदार के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह करार के चालू रहने के दौरान उसके अनुबंधों तथा शर्तों का अनुपालन करें, भले ही अभ्यंतर काल में भागीदारी का विघटन हो गया हो । मर्यादित कम्पनी की स्थिति में पंजीयन फार्म पर, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिसे कम्पनी द्वारा वैसा करने हेतु अधिकृत किया हो तथा कम्पनी को सर्टीफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन (Certificate of Incorporation) की एक प्रति और वह पत्र जिसके द्वारा उस व्यक्ति को पंजीयन फार्म अभिलेखों में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है, पंजीयन फार्म के साथ संलग्न किये जायेंगे जो न करने पर पंजीयन अमान्य किये जाने योग्य होगी । अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब की स्थिति में "कर्ता" जो कुटुम्ब को आबद्ध कर सके, पंजीयन फार्म पर हस्ताक्षर करेगा तथा परिवार के समस्त सदस्यों की सूची पंजीयन फार्म के साथ संलग्न की जावेगी ।

(II) किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से पंजीयन फार्म पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति पंजीयन फार्म के साथ मुख्त्यारनामा या उसके पक्ष में सम्यक् रूप से निष्पादित डीड या भागीदारी विलेख, जिसमें उसे यह शक्ति दी गई हो, जो यह दर्शाये कि यथास्थिति ऐसे अन्य व्यक्तियों को या फर्म को, संविदा संबंधी सभी विषयों में आबद्ध करने का उसे अधिकार है, पंजीयन फार्म के साथ संलग्न करेगा । यदि पंजीयन फार्म पर इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति उक्त मुख्त्यारनामा या भागीदारी विलेख संलग्न नहीं करता हैं, तो उसकी पंजीयन संक्षिप्त रूप से अस्वीकृति योग्य होगी । मुख्त्यारनामे पर, भागीदारी प्रतिष्ठान होने पर सभी भागीदारों द्वारा, प्रोप्राइटर फर्म होने पर प्रोप्राइटर द्वारा तथा मर्यादित कम्पनी होने पर उस व्यक्ति द्वारा जो अपने हस्ताक्षर से कम्पनी को आबद्ध कर सकता है, हस्ताक्षर किये जायेंगे । हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब होने पर मुख्त्यारनामे पर "कर्ता" जो अपने हस्ताक्षर से कुटुम्ब को आबद्ध कर सकता है, द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे ।

(III) अवयस्क, दिवालिया, बकायादार अथवा कालीसूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत पंजीयन फार्म अवैध मानी जावेंगी । ***यदि कोई कालीसूची में दर्ज व्यक्ति/फर्म किसी अन्य व्यक्ति के साथ दूसरी फर्म बना लेता है तो वह फर्म भी काली सूची में दर्ज मानी जावेगी ।***

(IV) ऐसा बोलीदार जो कि बकायादार है, किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो संघ के प्रबंध संचालक के पक्ष में रायपुर में देय हो, बकाया का भुगतान संघ कार्यालय या सम्बन्धित प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में ई-नीलाम समाप्ति के पूर्व कर सकता है ।

(V) बोलीदार का पंजीयन फार्म जमा करने की तिथि को अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत विनिर्माता/ निर्यातक /दोनों के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है और यदि वह क्रेता नियुक्त किया जाता है तो उसे करार समाप्ति की तिथि तक पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा । पंजीयन फार्म में निर्दिष्ट स्थान पर उस वर्ष जिसमें ई-नीलाम में भाग ली गई हैं के पंजीयन प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं दिनांक तथा वन मंडल का उल्लेख करना आवश्यक है एवं पंजीयन फार्म के साथ वन मंडलाधिकारी द्वारा दिये गए पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है ।

6. सत्यंकार की राशि -

(I) प्रत्येक बोली, सत्यंकार की राशि जो तेन्दूपत्ता की मात्रा के आधार पर बोली से परिगणित क्रय मूल्य की 10% की राशि से किसी भी दशा में कम नहीं होगी, के साथ शर्त क्रमांक 15(I) में दर्शाये विवरण अनुसार प्रस्तुत की जावेगी । अन्य किसी रूप में सत्यंकार की राशि जमा करने पर बोली अंतिम रूप से अमान्य किये जाने योग्य होगी ।

(II) दिनांक 24.09.2015 को संघ के वेबसाइट पर लाटों के लिये अधिकतम बोली प्रस्तावित करने वाले बोलीदारों की सूची उपलब्ध कराये जाने पर दिनांक 30.09.2015 तक क्रय मूल्य की 15 प्रतिशत की राशि अतिरिक्त जमा करनी होगी । उक्त सूची में दर्शाये बोलीदार द्वारा यदि निर्धारित अवधि तक अतिरिक्त 15% की सत्यंकार की राशि जमा नहीं कराई जाती है, तो बोलीदार की सत्यंकार में जमा राशि संघ के स्व विवेक पर राजसात कर ली जावेगी तथा उसको कोई लाट स्वीकृत नहीं किया जावेगा तथा उसको 3 वर्ष की अवधि के लिये संघ द्वारा काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा ।

(III) सफल बोलीदारों की सूची एवं असफल बोलीदारों की सूची संघ की बेवसाइट **www.cgmfpfed.org** पर क्रमशः **परिशिष्ट - IX** एवं **परिशिष्ट - X** में उपलब्ध रहेगी । सफल बोलीदार के द्वारा जमा की गई सत्यंकार की राशि प्रथमतः उसके द्वारा देय प्रतिभूति राशि के रूप में शर्त क्रमांक 10(I) के अनुसार क्रय मूल्य की 10% की सीमा तक समायोजित की जावेगी ।

(IV) ई-नीलाम के समापन के उपरांत, उच्चतम बोलीदारों की सत्यंकार की राशि शासन/संघ द्वारा ई-नीलाम पर निर्णय लिये जाने तक अवरुद्ध रहेगी । शासन/संघ द्वारा उच्चतम बोली को अस्वीकार करने की स्थिति में अवरोधित सत्यंकार की राशि मुक्त कर दी जावेगी तथा बोलीदार ई-नीलाम प्रणाली के माध्यम से वापसी हेतु अनुरोध कर सकते हैं और सत्यंकार की राशि एक कार्य दिवस के भीतर बोलीदार के पंजीकृत खाते में हस्तांतरित कर दी जावेगी । ई-नीलाम के समापन के उपरांत, उच्चतम बोली के अलावा अन्य बोली भरने वाले बोलीदारों की सत्यंकार की राशि स्वतः मुक्त कर दी जावेगी जिसे कि बोलीदार स्वयं ई-नीलाम प्रणाली के माध्यम से वापस ले सकते हैं । अगले चक्र की ई-नीलाम हेतु बोलीदार को सत्यंकार की राशि पुनः जमा करना होगी ।

(V) सत्यंकार की राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

7. शर्तों के साथ बोली भरने की प्रक्रिया -

(I) बोलीदार ई-नीलाम के समापन तक एक या एक से अधिक लाटों के लिये एक या एक से अधिक बार बोली प्रस्तुत कर सकेगा ।

(II) किसी भी लाट हेतु ई-नीलाम प्रणाली में प्राप्त उच्चतम बोली से कम दर की बोली स्वीकार नहीं की जावेगी ।

(III) बोलीदार द्वारा Quote (Rs /UOM) कॉलम में भरी गई बोली के समान बोली प्रस्तावित करने पर ई-नीलाम प्रणाली द्वारा बोली स्वीकार नहीं की जावेगी ।

(IV) बोलीदार जिन लाटों हेतु बोली प्रस्तुत करना चाहता है उसी लाट के समक्ष Quote (Rs /UOM) कॉलम में पृथक-पृथक बोली प्रस्तुत कर सकेगा ।

(V) बोलीदार जिन लाटों हेतु बोली प्रस्तुत करना चाहता है उन लाटों के लिये प्रस्तुत बोली को सुरक्षित कर रखने का प्रावधान है । बोलीदारऐसे लाटों के समक्ष Quote (Rs /UOM) कॉलम में प्रस्तावित बोली को भरकर **"Save Quotes"** को **Click** करके सुरक्षित रख सकता है तथा ई-नीलाम समापन के पूर्व कभी भी इस बोली को प्रस्तुत कर सकता है ।

(VI) बोलीदार द्वारा उपरोक्तानुसार सुरक्षित की गई बोली को शासन/संघ द्वारा तब तक स्वीकृति के लिये विचार नहीं करेगा जब तक कि बोलीदार ई-नीलाम समापन के पूर्व ऐसी बोली को प्रस्तुत नहीं कर देता ।

(VII) बोलीदार को बोली भरने के लिये दो स्क्रीन उपलब्ध होंगे, जो कि पूर्णतः बोलीदार पर निर्भर करेगा कि वह बोली प्रस्तुत करते समय किस स्क्रीन का उपयोग करेगा । **"Normal Screen"** जिस पर पूरे लाट प्रदर्शित होंगे तथा **"Manual Screen"** जिस पर वे लाट प्रदर्शित होंगे जिनमें बोलीदार द्वारा बोली प्रस्तुत की गई है अथवा प्रस्तुत करना चाहता है ।

(VIII) **"Manual Screen"** पर बोलीदार जिन लाटों पर बोली प्रस्तुत करना चाहता है उसका Lot No. or Lot Id भरने के पश्चात **"Enter"** को **Click** करने पर लाट की जानकारी प्रदर्शित हो जावेगी जिसे हेतु बोलीदार बोली प्रस्तुत कर सकेगा ।

(IX) न्यूनतम वृद्धिशील बोली (Minimum Incremental Tick) का आकार रु. 5/- होगी परंतु अधिकतम की कोई सीमा नहीं होगी ।

(X) NCDEX e Markets Ltd. (NeML) के द्वारा ई-नीलाम में प्राप्त उच्चतम बोली को H-1 घोषित की जावेगी । बोलीदारों के किसी भी लाट या समस्त लाटों के उच्चतम बोली/बोलियों को स्वीकार/अस्वीकार करने का विवेकाधिकार शासन/संघ रखता है ।

(XI) NCDEX e Markets Ltd. (NeML) के द्वारा बोलीदार को ई-नीलाम में बोली प्रस्तुत करने के लिये Bidder's username and the password आवंटित किया जाता है, उक्त Bidder's username and the password का उपयोग कर यदि बोलीदार बोली प्रस्तुत करता है जो वह बिना शर्त बंधनकारी होगा । बोलीदार बोली प्रस्तुत करने तथा Bidder's username and the password के तहत् होने वाली सभी अन्य गतिविधियों के लिये पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे । बोलीदार को ई-नीलाम से पहले अपने username and the password की जाँच करने एवं किसी अन्य को नहीं बतलाने की सलाह दी जाती है, ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके ।

(XII) वनोपज के ई-नीलाम में किसी लाट के अंतिम समय के 15 मिनट के पूर्व यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो उस लाट की अवधि 30 मिनट के लिए बढ़ जायेगी, तथा पुनः अंतिम समय के 15 मिनट के पूर्व यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो उस लाट की अवधि 30 मिनट के

लिए और बढ़ जायेगी और यह व्यवस्था तीन Extention के लिए रहेगी । तीन Extentions के बाद उस लाट हेतु और Extention नहीं होगी ।

8. इंटरनेट कनेक्टिविटी -

किसी भी प्रकार की बिजली, नेटवर्क, होस्टिंग सर्वर, सर्वर बैंडविथ समस्या, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ISP एवं NCDEX e Markets Ltd. के द्वारा ई-नीलाम हेतु तैयार लिंक **https://cgmfpfed.neml.in** के उपयोग तथा अन्य समस्याओं के विफलता के लिये संघ और NCDEX e Markets Ltd. जिम्मेदार नहीं होगा ।

9. बोली को वापिस लिया जाना आदि -

बोली के Final Submission उपरांत कोई भी बोलीदार किसी लाट/लाटों के लिये अपनी बोली वापस नहीं ले सकेगा और वह अपने बोली तथा ई-नीलाम सूचना के निबंधनों तथा शर्तों से तथा इन निबंधनों तथा शर्तों से तब तक बाध्य रहेगा जब तक संघ के द्वारा उसके बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी पत्र जारी नहीं कर दिया जाता । इस शर्त का उल्लंघन करने पर संबंधित लाट/लाटों के क्रय मूल्य, जो कि उसके द्वारा प्रस्तावित दर को लाट की अधिसूचित मात्रा से गुणा करने पर परिगणित किया जावेगा, की 10% राशि का उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर लिया जावेगा और उसे 3 वर्ष तक की कालावधि के लिये काली-सूची में दर्ज किया जा सकेगा ।

10. बोलियों को स्वीकार किया जाना -

(I) शासन/संघ बोली पत्रक में अंकित किसी भी लाट या समस्त लाटों के प्रस्ताव/प्रस्तावों को बिना कारण दर्शाये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

(II) विभिन्न बोलीदारों को लाटों का आवंटन करने के लिए शासन/संघ विभिन्न लाटों या लाटों के वर्ग या विभिन्न क्षेत्रों के लाटों के लिए भिन्न-भिन्न कट आफ स्तर/अवरोध मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है ।

(III) बोलीदार ऐसे लाट/लाटों को, जिनके प्रस्ताव स्वीकार किये जाते हैं, उसे वह स्वीकार करने को बाध्य होगा ।

11. प्रतिभूति निक्षेप -

(I) क्रेता करारनामा निष्पादित करने के पूर्व निष्पादित किये जाने वाले क्रेता करारनामा के निबंधनों तथा शर्तों के यथोचित अनुपालन के लिए सफल बोलीदार को उसके पक्ष में संघ के द्वारा स्वीकृत किये गये लाटों की अधिसूचित मात्रा के आधार पर कुल क्रय मूल्य की 25% की राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करना होगी और इस प्रयोजन हेतु उसके द्वारा शर्त क्रमांक 6 के अनुसार जमा की गई सत्यंकार की राशि क्रय मूल्य के 10% की सीमा तक उपलब्ध है, प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संघ के द्वारा समायोजित कर ली जावेगी और अतिरिक्त 15% राशि दिनांक 30.09.2015 के अंदर उसे जमा करना होगा । अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि प्रबंध संचालक छ. ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के पास, शर्त क्रमांक 15 में दर्शाये विवरण अनुसार जमा की जाएगी ।

(II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधो के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित की जा सकती है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी ।

(III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी ।

(IV) प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा ई-नीलाम सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् गोदाम से प्रदाय की दशा में अंतिम किश्त के विरूद्ध तथा फड़ से पत्ता मुक्त होने की दशा में अंतिम भुगतान के विरूद्व समायोजित कर ली जावेगी । लाट की अधिसूचित मात्रा से अधिक पायी गई मात्रा का परिदान क्रेता द्वारा लेना होगा । उक्त अधिक मात्रा हेतु देय राशि, लाट के विक्रय मूल्य के आधार पर उसे भुगतान करना होगा । लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र उसके द्वारा उक्त राशि भुगतान करने पर ही जारी किया जावेगा ।

12. तेन्दूपत्ते का परिदान -

(I) तेन्दूपत्ते का परिदान देय किश्त की पूर्ण राशि के भुगतान होने पर ही क्रेता को दिया जावेगा ।

(II) देय किश्त की राशि के पूर्ण भुगतान होने के पश्चात् लाट की कुल अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा का परिदान दिया जावेगा । परिदान दिये जाने के समय लाट में से तेन्दूपत्ते की छंटाई करने की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा परिदान छल्ली (स्टेक) के उस एक ओर से ही दिया जावेगा जिस ओर से परिदान प्रारम्भ किया गया हो ।

(III) क्रेता को उसके द्वारा परिदान में ली गई स्टाक की सम्पूर्ण मात्रा को संघ के गोदामों के परिसरों से हटाना होगा तथा उसे छंटाई या अन्य किसी प्रकार के कार्य को संघ के गोदामों के परिसरों या उनके निकट के क्षेत्र में करने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

13. अधिनियम आदि का उल्लंघन -

ऐसा क्रेता जो अधिनियम, नियमावली और/ अथवा क्रेता करारनामे की किन्ही शर्तों का उल्लंघन करता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 15 के अंर्तगत वह दंडित किया जाता है या उसके करारनामें को समाप्त किया जाता है, को पांच वर्ष की कालावधि तक के लिए काली सूची में मुख्य वन संरक्षक के द्वारा दर्ज किया जा सकेगा ।

14. करारनामें का हस्तांतरण -

क्रेता संघ/ मुख्य वन संरक्षक की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना अनुबंध को किसी अन्य व्यक्ति/ पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा । ऐसे अनुबंध का हस्तांतरण संघ/ संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा इस शर्त पर किया जा सकेगा कि जिस व्यक्ति/ पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान के पक्ष में अनुबंध हस्तांतरित किया जाना है वह रू. 5000/- की राशि हस्तांतरण शुल्क के रूप में तथा लाट के क्रय मूल्य की न्यूनतम 25% राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जिसमें से न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि शर्त क्रमांक 14 में दर्शाये विवरण अनुसार अदा की जाएगी तथा अवशेष प्रतिभूति की राशि प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के पास, शर्त क्रमांक 14 में दर्शाये विवरण अनुसार अग्रिम में जमा की जाएगी । हस्तांतरणकर्ता का आवेदन, हस्तांतरणग्रहिता की सहमति, अधिनियम के तहत विनिर्माता/ निर्यातक के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति एवं उपरोक्तानुसार हस्तांतरण शुल्क रू. 5000/- तथा लाट के क्रय मूल्य की 25% प्रतिभूति निक्षेप की राशि के बैंक ड्राफट तथा बैंक गारंटी संघ / संबंधित मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में **<u>प्रथम किश्त की देय तिथि के पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए</u>** । ऐसे प्रकरणों में हस्तांतरणकर्ता क्रेता लाट के संबंध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा, जब

तक हस्तांतरण ग्रहिता क्रेता संबंधित मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में संबंधित लाट का क्रेता करारनामा निष्पादित नहीं कर देता है ।

15. देय राशि की भुगतान की प्रक्रिया -

(I) बोलीदार द्वारा

बोलीदार को सत्यंकार (E.M.D.) की राशि का भुगतान आनलाइन Payment Gateway Service Provider के माध्यम से ही करना होगा । बोलीदार द्वारा आनलाइन भुगतान निम्न में से किसी प्रकार से किया जा सकता है ।

1. नेट बैंकिग (Net Banking)

बोलीदार नेट बैंकिग सुविधा उपलब्ध बैंक के खाते से NCDEX e Markets Ltd. (NeML) के निम्न तालिका में दर्शित बैंक खातों में सत्यंकार की राशि आनलाइन हस्तांतरण कर सकता है । बोलीदार सत्यंकार की राशि आनलाइन हस्तांतरण करने के उपरांत बैंक द्वारा दी गई आवश्यक जानकारी जैसे लेनदेन संदर्भ संख्या (Transaction Reference Number) आदि को संभाल कर रखें । ई-नीलाम पोर्टल में लॉगिन करने के उपरांत Fund Deposit request page पर लेनदेन संदर्भ संख्या (Transaction Reference Number) तथा जमा की गई राशि की सही-सही जानकारी भरनी होगी । भरी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर NCDEX e Markets Ltd. बोलीदार द्वारा जमा की गई राशि के अनुरोध को अमान्य कर सकेगा इस स्थिति में बोलीदार को पुनः लेनदेन संदर्भ संख्या (Transaction Reference Number) तथा जमा की गई राशि की सही-सही जानकारी भरनी होगी ।

2. आर.टी.जी.एस./एन.इ.एफ.टी (RTGS/NEFT)

बोलीदार बैंक के खाते से NCDEX e Markets Ltd. (NeML) के निम्न तालिका में दर्शित बैंक खातों में सत्यंकार की राशि RTGS/NEFT द्वारा हस्तांतरण कर सकता है । बोलीदार सत्यंकार की राशि हस्तांतरण करने के उपरांत बैंक द्वारा दी गई आवश्यक जानकारी जैसे लेनदेन संदर्भ संख्या (Transaction Reference Number) आदि को संभाल कर रखें । ई-नीलाम पोर्टल में लॉगिन करने के उपरांत Fund Deposit request page पर लेनदेन संदर्भ संख्या (Transaction Reference Number) तथा जमा की गई राशि की सही-सही जानकारी भरनी होगी । भरी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर NCDEX e Markets Ltd. बोलीदार द्वारा जमा की गई राशि के अनुरोध को अमान्य कर सकेगा इस स्थिति में बोलीदार को पुनः लेनदेन संदर्भ संख्या (Transaction Reference Number) तथा जमा की गई राशि की सही-सही जानकारी भरनी होगी ।

NCDEX e Markets Ltd., Mumbai			
Bank Name	**Settlement Account**	**IFSC Code**	**Branch Name**
HDFC Bank	00990690013043	HDFC0000060	Fort, Mumbai
Axis Bank	004010202176811	UTIB0000004	Fort, Mumbai
Bank of India	008620110000781	BKID0000086	Fort, Mumbai
Punjab National Bank	0082002100071810	PUNB0008200	Bandra (West), Mumbai
State Bank of India	30760960198	SBIN0011777	Fort, Mumbai
Central Bank of India	3244662932	CBIN0284082	Capital Market Branch
Kotak Mahindra Bank	0111410712	KKBK0000958	Nariman Point, Mumbai
Canara Bank	2426246025044	CNRB0002426	NSE, Fort, Mumbai
ICICI Bank	000405105961	ICIC0000004	Nariman Point, Mumbai

(II) बोलीदार द्वारा क्रेता नियुक्त होने पर

1. क्रेता छ.ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर को देय समस्त राशि जैसे कि विक्रय मूल्य, वन विकास उपकर, मूल्य संवर्धित कर, आय कर, ब्याज एवं गोदाम किराया आदि का भुगतान किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट जो कि प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के नाम होगा तथा परिशष्ट VI में जिला यूनियन के समक्ष दर्शाये स्थान के किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय होगा, के रूप में जिला यूनियन कार्यालय में अथवा रायपुर स्थित निम्न बैंकों में उनके समक्ष दर्शाये RTGS कोड/ बैंक खाता क्रमांक में RTGS के माध्यम से हस्तानांतरण द्वारा कर सकता है ।

बैंक एवं शाखा का नाम	RTGS कोड/ बैंक खाता क्रमांक
1. पंजाब नेशनल बैंक, रायपुर (मुख्य शाखा)	PUNB0039900/0399000100191933
2. भारतीय स्टेट बैंक, रायपुर (व्ही.आई.पी. इस्टेट शाखा)	SBIN0013004/32084656047
3. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, रायपुर (सिविल लाइन्स शाखा)	ICIC0000161/016105006260

बैंक के द्वारा संचालित RTGS व्यवस्था में किसी प्रकार के व्यवधान के कारण संघ के खाते में राशि प्राप्त न होने अथवा विलम्ब से प्राप्त होने का पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का होगा । आर.टी.जी.एस. व्यवस्था से भुगतान की तिथि वही मानी जावेगी, जिस तिथि को संघ के बैंक खाते में राशि प्राप्त होगी ।

क्रेता द्वारा भुगतान करने के उपरांत मनी रसीद जारी करने हेतु **परिशिष्ट - VII** में आवेदन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ

मर्यादित को प्रस्तुत करना होगा तत्पश्चात् ही छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा मनी रसीद जारी की जावेगी ।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त इस नई प्रक्रिया के अनुसार लघु वनोपज संघ के वेबसाइट **www.cgmfpfed.org** के मुख पृष्ठ (Home Page) में एक Link **Online Payment Module** उपलब्ध होगा । क्रेता द्वारा उक्त Link को Click करने पर एक इनपुट फार्म खुल जावेगा, उक्त फार्म में राशि जमा करने वाले इच्छुक क्रेता द्वारा क्रमशः क्रेता का नाम, पी.टी.एन., ई-मेल, मोबाईल क्रमांक, जिला यूनियन का नाम, वनोपज का नाम, संग्रहण वर्ष, लाट क्रमांक, विक्रय मूल्य, वन विकास उपकर, मूल्य संवर्धन कर (VAT), आय कर, ब्याज, गोदाम किराया एवं पुर्नजीवन शुल्क की प्रविष्टि करनी होगी । क्रेता द्वारा समस्त प्रविष्टि Caps Lock on करके ही की जानी चाहिये । क्रेता द्वारा प्रत्येक लाट हेतु पृथक से प्रविष्टि करनी चाहिये अर्थात् एक या एक से अधिक लाटों की प्रविष्टियों को जोड़कर एक प्रविष्टि नहीं करनी चाहिये । उक्त फार्म में पूरी जानकारी भरने के उपरांत Submit Button को क्लिक करना होगा । Submit Button को क्लिक करने के बाद एक चालान प्रदर्शित होगा, क्रेता उक्त चालान का प्रिन्ट लेकर चालान में अंकित जानकारियों को बैंक द्वारा RTGS हेतु निर्धारित फार्म में भरकर चालान में अंकित राशि को RTGS करना होगा ।

क्रेता द्वारा RTGS करने एवं राशि संघ के खाते में जमा होने की पुष्टि पश्चात् ऑनलाईन मनी रसीद संबंधित जिला यूनियनों को उनके ई-मेल पर, क्रेता के ई-मेल पर तथा संघ मुख्यालय के ई-मेल पर स्वतः प्राप्त हो जावेगी ।

Annexure - II

Bidding Form
(Sample)

Lot No.	Distraict Union	Name of the Society	Quantity	UOM	Quote (Rs/UOM)	Last Bid	Best bid	Message

Annexure – III

BIDDER'S AGRREMENT
(condition 4(ii) of e-Auction Notice)

This agreement is made between Managing Director, Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative Federation Limited (hereinafter called 'Federation', which expression shall, where the context so admits, include its successors/representatives and assignees in office) of the first part and I/We (hereinafter called the Bidder which expression shall include his heirs, successors, representatives and assignees) of the second part.

Whereas, trading in tendu leaves is regulated by the provisions of Chhattisgarh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1964 and the rules made thereunder and trading in Harra & Gums (grade I & II) is regulated by the provisions of Chhattisgarh Vanopaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 and the rules made thereunder.

And whereas, the Government has authorized the Federation to sell in the Tendu leaves, Salseed, Harra, Gums and other MFPs to be collected in different societies (lots) in Chhattisgarh.

And whereas, the Federation desires to dispose of the Tendu leaves, Salseed, Harra, Gums and other MFPs collected, bagged and stored in godowns during collection season and has issued notice inviting offers for the vide e-Auction notice and also desires that the prospective Bidders should execute an agreement before participating in the e-Auction to abide by the conditions of the e-Auction Notice.

Now the bidder hereby agrees as follows:-

1. I/We hereby declare that I/We have read and understood all the provisions of the Chhattisgarh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1964 and the rules made thereunder / Chhattisgarh Vanopaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 and the rules made thereunder, the conditions of the E-Auction notice referred to above, Terms and conditions of e-Auction etc. contained in **Annexure - I** of the e-Auction notice and conditions of the Purchaser's Agreement appended to the e-Auction notice and agree to abide by the same.

2. I/We hereby declare that I/We shall not withdraw my/our offer after e-Auction. I/We further declare that I/We shall be bound by my/our offer and by the terms and conditions of the e-Auction notice till orders of competent authority, accepting/rejecting my/our offer, are passed or another person or party is appointed as purchaser of the lot(s) for which I/We have submitted the offer.

3. In the event of my/our failure to abide by the conditions of this agreement. I/We shall be liable to pay such penalty, as may be leviable under the terms and conditions of the offer notice.

4. This agreement shall be deemed and always be deemed to be subject to the provisions of Chhattisgarh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1964 the rules made thereunder / Chhattisgarh Vanopaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 and the rules made thereunder and the orders and notifications issued from time to time under the said Adhiniyam and the rules and of the terms and conditions of E-Auction Notice all of which shall form part of and shall be deemed to have

become part of this agreement and shall be construed to have been specially provided for in this agreement.

5. I/We hereby declare that neither any dues of Forest Department/Federation are outstanding against me/us in Chhattisgarh nor have I/We been blacklisted by the Government/ Federation.

In witness whereof the bidder has put his/her signature on the day and year written first above.

Note : - Since this document is being submitted as a part of digitally signed e-Auction process, so the physical signatures of the bidder and Managing Director, Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-op. Federation Limited are not available on this document.

परिशिष्ट- IV

(ई-नीलाम सूचना क्रमांक ते.प.(निरस्त)-LXI दिनांक 20.08.2015 का परिशिष्ट)

क्रेता का करारनामा

(ई-नीलाम सूचना की शर्त क्रमांक - 8)

यह करार आज दिनांक .....माह.....सन्.....को प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो विलेख के प्रयोजन के लिए मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, ... वृत (जो इसके पश्चात् मुख्य वन संरक्षक के नाम से निर्दिष्ट है) के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उसके कार्यालयीन उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री..... .....आत्मज .....निवासी..... .....ग्राम.....और जो (1) श्री..... (2) श्री .....(3) श्री .... के साथ .....स्थित कम्पनी, जिसका नाम ....है तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7-1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय .....में स्थित है, के साथ भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात् क्रेता के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राहय न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया गया जाता है (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो)

चूँकि छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदूपत्ते का व्यापार, छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (क्रमांक 29/1964) के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के अधीन बनाई गई छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और उसके अधीन बनाये गए नियमों तथा उनके कानूनी उपांतरणों, जहां तक वे ऐसे व्यापार को लागू है, द्वारा विनियमित होता है, और चूँकि राज्य शासन ने तेंदूपत्ते के संग्रहण व निर्वर्तन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित को अभिकर्ता नियुक्त किया है और संघ ने वर्ष 2014 एवं विगत वर्षों के क्रेता करारनामा समाप्त तेन्दूपत्ता लाटों के विक्रय के लिए अपनी ई-नीलाम सूचना क्रमांक ते.प.(निरस्त)-LXI दिनांक 20.08.2015 के द्वारा ई-नीलाम आयोजित की थी, और क्रेता लॉट क्रमांक ..... (अंको में) ..... (शब्दों में) समिति का नाम ..... एवं अधिसूचित मात्रा ..... (अंको में)..... ..... (शब्दों में) और जिसको कथित ई-नीलाम सूचना की अनुसूची में और पूर्णतया वर्णित किया गया है, के तेंदूपत्ते के क्रय के लिए की गई प्रस्तावित दर इसमें इसके पश्चात् दर्शाये गये निबंधनों एवं शर्तों पर स्वीकार की गई हैं और उसे इस कथित तेंदूपत्ते का दिनांक 30.01.2016 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए क्रेता नियुक्त करने के लिए वह सहमत हो गया है,

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं :-

1. क्रेता करारनामा की अवधि -

यह करार दिनांक..... से प्रारम्भ होगा और दिनांक ..... तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार पूर्व में ही इसे समाप्त न कर दिया जाए ।

2. करारनामे के भाग -

इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह छत्तीसगढ़ तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के, और उसके अधीन बनाये गये नियमों के, और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किए गए आदेशों तथा अधिसूचनाओं तथा इस ई-नीलाम सूचना के निबंधनों तथा शर्तों के तथा इस ई-नीलाम सूचना के **परिशिष्ट - I** में उल्लेखित सामान्य/अन्य निबंधनों एवं शर्तों तथा बोलीदारों के लिए निर्देशों के जो सब इस करार के भाग होंगे, और इसके भाग बन गये समझे जावेंगे, और जिनका अर्थ लगाया जायेगा कि इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है, उपबंधों के अध्यधीन है ।

3. क्रय दर आदि -

क्रेता इस अनुबंध की कंडिका 21 की तालिका में दर्शाये गये लाट/लाटों जिनको कि इसके पश्चात् लाट/लाटों कहा गया है, के तेंदूपत्ता को प्रत्येक लाट के सामने दर्शाई गई दर पर, कालम 6 में दर्शाये गये क्रय मूल्य पर क्रय करेगा । लाट के क्रय मूल्य के अतिरिक्त क्रेता समय-समय पर प्रवृत्त क्रय मूल्य के ऊपर कर/उपकर भी अदा करेगा ।

4. विक्रय "जहाँ है जैसा है" के आधार पर -

(I) उप कंडिका (II) के अध्यधीन रहते हुये तेन्दूपत्तों का विक्रय "जहां है जैसा है" के आधार पर है । पत्तों की गुणवत्ता या उनके बीड़ी निर्माण हेतु उपयुक्तता के बारे में किसी भी समय कोई विवाद मान्य नहीं किया जायेगा और न ही संघ उनकी गुणवत्ता में किसी प्रकार के ह्रास के लिये उत्तरदायी होगा तथा पत्ते का भंडारण क्रेता के उत्तरदायित्व पर रहेगा ।

(II) यह अनुबंध तेंदूपत्ते की मानक बोरें में अधिसूचित मात्रा के क्रय/विक्रय के लिये है । वास्तविक बोरों की संख्या के संबंध में कोई विवाद मान्य नही किया जायेगा । यदि इस अनुबन्ध में सम्मिलित किसी लाट में ई-नीलाम सूचना में अधिसूचित मात्रा से अधिक संख्या में मानक बोरे निकलते हैं तो क्रेता को उन्हें भी लाट के लिये अनुबन्ध की कंडिका 21 में दर्शाये स्वीकृत दर पर अतिरिक्त भुगतान कर क्रय करना होगा । ऐसा अतिरिक्त भुगतान क्रेता को लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी होने के पूर्व करना होगा जैसा कि ई-नीलाम सूचना के **परिशिष्ट - I** में दर्शाया गया है। अधिसूचित मात्रा में किसी गणितीय अथवा लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार संघ सुरक्षित रखता है तथा किश्तों में तद्नुसार संशोधन किया जायेगा और क्रेता को संशोधित मात्रा एवं किश्तों को मान्य करना होगा ।

(III) स्टाक की उल्टा-पल्टी करने या उन्हें किसी अन्य गोदाम में स्थानांतरित करने का अधिकार, क्रेता को इस आाशय की सम्यक् सूचना कि यदि वह चाहे तो उपरोक्त कार्य के समय उपस्थित रह सकता है, दिये जाने के उपरांत संघ/ जिला यूनियन के पास सुरक्षित है ।

5. देय राशि के भुगतान तथा पत्ते के परिदान की रीति -

(अ) क्रेता देय राशि अर्थात् देय करों सहित पूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में चार बराबर किश्तों में, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के नाम से **परिशिष्ट - VI** में जिला यूनियनों के समक्ष दर्शायें स्थानों के किसी बैंक शाखा पर देय किसी अनुसूचित बैंक के बैंक/ डिमांड ड्राफट द्वारा निम्न तिथियों को या उसके पूर्व करेगा ।

(राशि रुपये में)

किश्त	देय राशि की किश्तों के भुगतान की तिथि	क्रय मूल्य की राशि	वन विकास उपकर	मूल्य संवर्धित कर	अन्य कर	योग
प्रथम						
द्वितीय						
तृतीय						
चतुर्थ						

प्रत्येक किश्त के भुगतान के साथ आयकर रू. ..... एवं आयकर सरचार्ज रू..... कुल योग रू..... की किश्त का भुगतान भी करना होगा ।

उपर वर्णित कर/उपकर, आयकर एवं अन्य करों में पश्चातवर्ती संशोधन होने पर तद्नुसार यथास्थिति संशोधित राशि क्रेता द्वारा देय होगी ।

ई-नीलाम सूचना के प्रावधानों के अनुसार पटाई गई प्रतिभूति निक्षेप या उसकी अवशेष राशि जैसी भी स्थिति हो, जिला यूनियन के प्रबंध संचालक के संतुष्ट होने पर इस अनुबंध की कंडिका 10 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अंतिम किश्त के विरूद्ध समायोजित की जावेगी ।

(ब) यदि क्रेता द्वारा प्रथम किश्त की देय दिनांक तक किसी लाट का सम्पूर्ण क्रय मूल्य समस्त देय करों सहित भुगतान किया जाता है तो क्रय मूल्य की राशि के 2% के बारबर राशि की छूट दी जावेगी । यदि क्रेता इस सूविधा का लाभ उठाना चाहता है तो वह सम्पूर्ण क्रय मूल्य की 98% राशि तथा सम्पूर्ण क्रय मूल्य (100%) पर समस्त देय करों की राशि का भूगतान करेगा ।

(स) यदि क्रेता किसी किश्त की देय राशि का देय तिथि तक भुगतान करने में असफल रहता है, तो वह विलंबित अवधि के लिए 0.035 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से ब्याज देगा । यदि किसी किश्त की देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है तो ब्याज की गणना के लिये देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी ।

(द) **(I)** क्रेता तेन्दूपत्ते का ई-नीलाम सूचना की अनुसूची में अधिसूचित गोदामों से परिदान लेगा तथा वह गोदाम के अन्दर से बोरा हटाने में आया समस्त व्यय स्वयं वहन करेगा । क्रेता को पतों का परिदान केवल तभी दिया जायेगा जब कि देय राशि का विलंबित भुगतान की स्थिति में ब्याज सहित, पूर्ण भुगतान उसके द्वारा कर दिया गया है ।

(II) प्रत्येक किश्त की देय राशि का पूर्ण भुगतान किये जाने के पश्चात् लाट की अधिसूचित मात्रा के एक चौथाई भाग का परिदान दिया जायेगा । परिदान के समय लाट में से पत्तों की छंटाई की अनुमति नही दी जायेगी तथा परिदान छल्ली (स्टेक) के उस एक ओर से ही दिया जावेगा जिस ओर से परिदान प्रारंभ किया गया है ।(यदि प्रयुक्त न हो तो काट दें)

(III) क्रेता को उसके द्वारा परिदान में ली गई सम्पूर्ण मात्रा को संघ के गोदामों के परिसरों से हटाना होगा तथा उसे छंटाई या कोई अन्य कार्य संघ के गोदाम के परिसरों में या उनके निकट के क्षेत्र में करने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

(IV) **(अ)** प्रथम किश्त की देय राशि का पूर्ण भुगतान किये जाने के पश्चात् यदि क्रेता लाट के पत्तों का खुला परिदान लेना चाहता है तो उसे इस आशय का आवेदन पत्र मुख्य वन संरक्षक को देना होगा । क्रेता के आवेदन-पत्र पर मुख्य वन संरक्षक

क्रेता को संघ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खुला परिदान देने की अनुमति देंगे । खुले परिदान के अंर्तगत लाट की अधिसूचित मात्रा के एक चौथाई भाग का परिदान दिया जायेगा । परिदान के समय लाट में से बोरों की छंटाई की अनुमति नही दी जायेगी तथा परिदान छल्ली के उस एक ओर से दिया जायेगा जिस ओर से परिदान प्रारंभ किया गया है ।

(ब) इस प्रकार के परिदान के समय प्रत्येक बोरे को खोलकर उसमें भरी हुई गड्डियों की गिनती क्रेता के समक्ष की जावेगी तथा उन्हें बोरों में पुनः भरकर तदनुसार मात्रा का निर्धारण कर परिदान दिया जावेगा । इस प्रकार गिनती एवं गड्डियों को बोरों में पुनः भरने, सिलाई, थप्पी करने आदि कार्यों पर होने वाला समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया जावेगा। इस व्यय का भुगतान क्रेता द्वारा इस तेन्दूपत्ते के परिवहन के पूर्व किया जावेगा ।

(i) इस प्रकार गड्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा यदि लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से साढ़े सात प्रतिशत ($7^1/_2\%$) तक कम आती है, तो लाट की अधिसूचित मात्रा में कोई कमी नहीं की जावेगी एवं तदनुसार प्रथम किश्त के तेंदूपत्ते का परिदान क्रेता को किया जावेगा । इस प्रकार पाई गई कमी के संबंध में कोई विवाद मान्य नहीं होगा । ऐसी स्थिति में क्रेता को देय राशि में किसी प्रकार की कोई छूट देय नहीं होगी तथा आगामी किश्तों की देय राशि के भुगतान के पश्चात् शेष तेंदूपत्ते का अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिदान कर दिया जावेगा । शेष अधिसूचित मात्रा के परिदान के पूर्व उसके अवशेष बोरों में गड्डियों की कोई गिनती नहीं की जावेगी एवं न ही खुला परिदान दिया जावेगा ।

(ii) परन्तु यदि इस प्रकार गड्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से साढ़े सात प्रतिशत ($7^1/_2\%$) से अधिक कम आती है, तो लाट की अधिसूचित मात्रा में तदनुसार कमी कर प्रथम किश्त की देय राशि की गणना संशोधित कर क्रेता द्वारा अधिक जमा राशि आगामी किश्त/किश्तों में समायोजित की जावेगी ।

(iii) यदि इस प्रकार गड्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से अधिक आती है, तो इस अधिक मात्रा के लिये क्रेता को क्रय मूल्य तथा उस पर देय समस्त कर आदि का भुगतान करना होगा। इस प्रकार अधिक देय राशि के भुगतान के पश्चात् ही क्रेता को प्रथम किश्त के तेन्दूपत्ते की इस अतिरिक्त मात्रा का परिदान दिया जावेगा ।

(iv) उपरोक्त शर्त क्रमांक (ii) एवं (iii) के अनुसार कम/अधिक मात्रा के आधार पर आगामी किश्तों की मात्रा भी संशोधित की जावेगी एवं तदनुसार इस संशोधित मात्रा के आधार पर क्रेता को आगामी किश्तों की देय राशि का भुगतान करना होगा एवं इस संशोधित मात्रा के आधार पर ही क्रेता को आगामी किश्तों के तेन्दूपत्ते का परिदान दिया जावेगा, जिसे उसे मान्य करना होगा। प्रथम किश्त के उपरांत आगामी किश्तों के पत्ते का खुला परिदान किसी भी स्थिति में नहीं दिया जावेगा ।

इस प्रकार कंडिका 5 (द) (IV) (ब) (i), (ii),(iii) तथा (iv) के अनुसार परिगणित की गई मात्रा एवं देय राशि के संबंध में मुख्य वन संरक्षक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

(ई) नीचे दी गई कंडिका (फ) के प्रावधान के अध्यधीन, किश्त की देय दिनांक या भुगतान की दिनांक, जो भी बाद में हो से 45 दिनों के भीतर गोदाम से तेन्दूपत्ता हटाना होगा, परन्तु यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो परिदान आदेश को जिला यूनियन के प्रबंध संचालक से पुनर्जीवित कराना होगा ।

(फ) क्रेता को उसके द्वारा क्रय किये गये तेन्दूपत्ते को गोदामों से केवल करार अवधि में ही हटाने का अधिकार है तथा करार अवधि समाप्त होने पर उसका तेंदूपत्ता की शेष मात्रा पर कोई अधिकार नहीं होगा तथा ऐसा तेन्दूपत्ता संघ की संपत्ति बन गया माना जावेगा । तथापि यदि क्रेता ने लाट के पूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान कर दिया है तथा उसका करारनामा समाप्त नहीं किया गया है और उसने अवधि वृद्धि शुल्क के रूप रुपये 10,000/- का तथा गोदाम किराये के रूप में करार अवधि समाप्त होने से प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए रुपये 5/- प्रति वास्तविक बोरा की दर से भुगतान कर दिया है और मुख्य वन संरक्षक को तेन्दूपत्ते को हटाने की अनुमति देने हेतु लिखित आवेदन दिया है, तो मुख्य वन संरक्षक ऐसी अनुमती ऐसी कालावधि के लिए दे सकेंगे जो करार की समाप्ति की तिथि से 60 दिनों से अधिक की नहीं होगी । परन्तु उपरोक्त 60 दिवस की अवधि समाप्ति के उपरांत भी विशेष परिस्थितियों में संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से तेन्दूपत्ता हटाने हेतु इस पत्ते के निर्वर्तन के पूर्व 30 दिवस की अतिरिक्त अवधि दे सकेंगे ।

6. बैंक गारंटी के विरूद्ध पत्ते के परिदान की सुविधा -

(अ) ई-नीलाम सूचना की कंडिका 10(II) के प्रावधान के अध्यधीन, यदि क्रेता बैंक गारंटी के विरूद्ध पत्ते के परिदान की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तब वह प्रथम किश्त की नियत दिनांक के पूर्व क्रय मूल्य की 30% राशि के बराबर जिला यूनियन के प्रबंध संचालक के पक्ष में किसी भी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत कर सकता है । ऐसी स्थिति में पत्ते का परिदान निम्न शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार किया जावेगा ।

(I) बैंक गारंटी करार अवधि समाप्ति के दो माह उपरांत अर्थात् दिनांक..... तक वैध होगी तथा इसकी पुष्टि बैंक द्वारा कर दी गई हो । गारंटी प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में होगी ।

(II) बैंक गारंटी की पुष्टि होने के पश्चात् प्रथम किश्त से संबंधित समस्त देय कर बैंक/डिमांड ड्राफट द्वारा कंडिका 7 के अनुसार पटाने पर उसे 1/4 भाग के पत्ते के परिदान की अनुमति दी जाऐगी। क्रेता के द्वारा कंडिका 5 के प्रावधानों के अनुसार देय कर सहित प्रथम किश्त पटाने पर उसे दूसरे 1/4 भाग का पत्ता और दे दिया जाऐगा और इसी प्रकार दूसरी किश्त पटाए जाने पर उसे 1/4 भाग का पत्ता और दे दिया जाऐगा और तदानुसार । (यदि प्रयुक्त न हो तो काट दें)

या

(ब) ई-नीलाम सूचना की कंडिका 10(II) के प्रावधान के अध्यधीन, यदि क्रेता 100 प्रतिशत बैंक गारंटी के विरूद्ध पत्ते के परिदान की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है तब वह प्रथम किश्त की नियत दिनांक के पूर्व क्रय मूल्य के बराबर जिला यूनियन के प्रबंध संचालक के पक्ष में किसी भी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत कर सकता है अथवा वह प्रथम किश्त की समस्त देय राशि के भुगतान के उपरांत एवं द्वितीय किश्त की नियत दिनांक के पूर्व अवशेष क्रय मूल्य के बराबर जिला यूनियन के प्रबंध संचालक के पक्ष में किसी भी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में पत्ते का परिदान निम्न शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार किया जावेगा ।

(I) बैंक गारंटी करार अवधि समाप्ति के दो माह उपरांत तक अर्थात् दिनांक..... ..... तक वैध होगी तथा इसकी पुष्टि बैंक द्वारा कर दी गई हो । गारंटी प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में होगी ।

(II) बैंक गारंटी की पुष्टि होने के पश्चात् क्रय मूल्य/अवशेष क्रय मूल्य से संबंधित देय समस्त कर बैंक/डिमांड ड्राफट द्वारा पटाने पर तेंदूपत्ते के परिदान की अनुमति दी जायेगी । क्रेता के द्वारा कंडिका 5(अ) के प्रावधानों के अनुसार देय किश्तों की राशि का भुगतान किया जावेगा ।

(स) (I) क्रेता के द्वारा किसी भी किश्त की रकम समय पर न पटाने पर उसके द्वारा दी गई बैंक गारंटी का नगदीकरण कर लिया जाएगा तथा राशि बैंक से प्राप्त होने तक कंडिका 5(स) में निर्धारित ब्याज दर से ब्याज भी नगदीकृत राशि से वसूल किया जाऐगा ।

(II) बैंक गारंटी प्रस्तुत करने से क्रेता, संघ को वह देय राशि जिस हेतु बैंक गारंटी दी गई है के भुगतान किये जाने के उत्तरदायित्व अथवा बाध्यता से मुक्त नहीं होगा । संघ के बैंक गारंटी के नगदीकरण के अधिकार पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना संघ को समस्त देय राशि के भुगतान का पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का है ।

(III) यदि संघ उसको देय किसी भी राशि को बैंक गारंटी के किसी भी कारण से नगदीकरण न होने की वजह से वसूल नहीं कर पाता है, तो ऐसी देय राशि क्रेता के द्वारा भुगतान योग्य होगी और उसके द्वारा ऐसा भुगतान न करने पर ऐसी राशि संघ के बैंक गारंटी के नगदीकरण के अधिकार पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव डाले बिना भू-राजस्व की बकाया के बतौर वसूली योग्य होगी और ऐसी राशि क्रेता की अन्य ऐसी राशि जो कि संघ के पास इस करारनामों के प्रावधानों के अंर्तगत उपलब्ध हो या संघ एवं क्रेता के बीच अन्य किसी प्रचलित करारनामे अथवा भविष्य में निष्पादित किए जाने वाले करारनामे के अंर्तगत संघ के पास उपलब्ध हो, से भी वसूली योग्य होगी ।

(IV) इस करारनामे के अंर्तगत दी गई बैंक गारंटी का यदि नगदीकरण किसी भी कारण से नहीं होता है जिसके फलस्वरूप संघ को देय राशि प्राप्त नहीं होती है तो इसे इस करारनामे का विशिष्ट उल्लंघन माना जाएगा, जिसके कारण यह करारनामा समाप्त किया जा सकेगा और क्रेता को 5 वर्ष की कालावधि तक के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा एवं क्रेता करारनामे की कंडिका 13 के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

(V) इस कंडिका के प्रयोजन हेतु बैंक गारंटी ई-नीलाम सूचना के साथ संलग्न **परिशिष्ट - V** में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत की जाऐगी ।

7. करों का भुगतान -

(I) इस करार के अधीन संघ को देय कोई भी किश्त अथवा राशि तब तक दी गई नहीं मानी जायेगी, जब तक उस पर देय समस्त करों का भी भुगतान न कर दिया जाए ।

(II) क्रेता छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार मूल्य संवर्धित कर तथा वन विकास उपकर एवं अन्य करों / उपकरों का भुगतान **परिशिष्ट - I** की शर्त क्रमांक 15 में दर्शाये विवरण के अनुसार करेगा ।

(III) क्रेता, जब तक उसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में छूट नहीं दे दी गई हो, आयकर अधिनियम 1961 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार आयकर का भुगतान प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में, **परिशिष्ट - VI** में जिला यूनियनों के समक्ष दर्शायें स्थानों के किसी भी अनुसूचित बैंक के पृथक बैंक ड्राफट/डिमांड ड्राफट के रूप में करेगा । यथा स्थिति संघ

को देय पत्तों के क्रय मूल्य या उसके भाग का तब तक भुगतान नहीं माना जाएगा, जब तक कि उस पर देय आयकर का भी पूर्णतः भुगतान नहीं कर दिया गया हो ।

8. विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना -

संघ या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या वन मंडलाधिकारी क्रेता को तेन्दूपत्तों के परिदान के पश्चात् छत्तीसगढ़ तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 के अंर्तगत प्रावधानित प्रारूप "ठ" में उसका विक्रय प्रमाण - पत्र प्रदान करेगा ।

9. करारनामे का अनुपालन -

यदि पूर्वोक्त एवं ई-नीलाम सूचना में विनिर्दिष्ट परिदान तथा क्रय की शर्तों का पूर्णतः पालन/ परिपालन नहीं किया जाता है, तो तेन्दूपत्तों को परिदत्त तथा क्रय किया गया नहीं समझा जावेगा ।

10. प्रतिभूति निक्षेप -

(I) क्रेता अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के द्वारा या अधीन जहां तक कि वे इस करार के संदर्भ में लागू होते हों, उसके द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त कार्यों तथा कर्तव्यों को करने तथा निषिद्ध किये गये किसी कार्य के स्वयं द्वारा उसके सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा किये जाने से विरत रहने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है और अपने द्वारा तथा अपने सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के सम्यक् पालन तथा अनुपालन किए जाने के लिए मुख्य वन संरक्षक के पक्ष में उसके द्वारा ई-नीलाम सूचना के प्रावधानों के अनुसार रूपये..... की राशि प्रतिभूति के रूप में नियमानुसार निक्षेपित की गई है ।

(II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधों के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी ।

(III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी ।

(IV) प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामे के समस्त निबंधनों एवं शर्तो, अधिनियम, नियमावली तथा ई-नीलाम सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् अंतिम किश्त के विरूद्ध समायोजित की जावेगी । लाट की अधिसूचित मात्रा से अधिक पायी गई मात्रा का परिदान क्रेता द्वारा लेना होगा । उक्त अधिक मात्रा हेतु देय राशि, लाट के विक्रय मूल्य के आधार पर उसे भुगतान करना होगा । लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र उसके द्वारा उक्त राशि भुगतान करने पर ही जारी किया जावेगा ।

(V) उपरोक्तानुसार उप कंडिका (IV) में दर्शाये समायोजन के उपरान्त अवशेष प्रतिभूति निक्षेप की बैंक गारंटी/नगद राशि वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि, कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा ई-नीलाम सूचना की शर्तों का पालन किया गया है

और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् क्रेता को वापस कर दी जावेगी ।

11. अधिनियम का उल्लंघन आदि -

क्रेता यह करार करता है कि वह उसके अथवा उसके द्वारा नियोजित किए गए व्यक्तियों के द्वारा अधिनियम, नियमावली और इस करारनामे के प्रावधानों के किए गए प्रत्येक उल्लंघन के लिए संघ/शासन को रूपया 1000/- (एक हजार) तक की राशि की देनगी करेगा ।

12. शास्तियाँ -

यदि क्रेता करार की किसी भी शर्त को भंग करें और यदि ऐसे भंग के कारण करार को समाप्त करना प्रस्तावित न हो तो जिला यूनियन के प्रबंध संचालक प्रत्येक भंग के लिए ऐसी शास्ति जो रूपये 1000/- (एक हजार) से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा । यदि शास्ति की राशि रूपये 500/- (पांच सौ) से अधिक हो, तो इस आदेश के विरूद्ध आदेश जारी होने के 30 दिन की अवधि के भीतर अपील मुख्य वन संरक्षक को की जा सकेगी, जिसका विनिश्चय अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

13. क्रेता के करारनामे की समाप्ति -

(I) यदि क्रेता प्रथम दो किश्तें तृतीय किश्त की देय तिथि के पूर्व या तृतीय किश्त चतुर्थ किश्त की देय तिथि के पूर्व या अंतिम किश्त उसकी देय तिथि के 15 दिन के अन्दर या अन्य कोई देय राशि अदा नहीं करता है या इस प्रलेख के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का अनुवर्तन करने में चूक करता है, तो ऐसे किन्हीं भी अधिकार तथा उपचारों पर जो मुख्य वन संरक्षक को प्राप्त हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मुख्य वन संरक्षक अपने विवेक पर इस करार को क्रेता को 15 दिन का नोटिस देकर एवं उसे सुनवाई का अवसर देकर समाप्त कर सकेगा और क्रेता का नाम पाँच वर्ष तक की कालावधि के लिये काली सूची में दर्ज कर सकेगा ।

(II) करार की समाप्ति का आदेश क्रेता को व्यक्तिशः परिदत्त किया जावेगा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जावेगा । करार की समाप्ति करार के समाप्त करने के आदेश के दिनांक से प्रभावी होगी ।

(III) करार की समाप्ति पर संघ, निम्नलिखित के लिए हकदार होगा :-

(अ) संपूर्ण प्रतिभूति निक्षेप की राशि को अधिहरित करने ।

(ब) गोदाम में रखे तेन्दूपत्ते के स्कंध, जिसका भुगतान कर दिया गया है परन्तु परिदान नहीं लिया गया हो को संघ के पक्ष में अधिहरित करने ।

(स) (एक) गोदाम में रखे तेन्दूपत्ते का, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा गोदाम में रखे तेंदूपत्ते के उस स्कंध का जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 13(III)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है का विक्रय करने और हानि की वसूली करने । ऐसी हानि क्रेता द्वारा कंडिका 6 के अंर्तगत प्रस्तुत बैंक गारंटी, यदि प्रस्तुत की गई हो, के नगदीकरण तथा साथ ही गोदाम में रखे तेंदूपत्ते, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा गोदाम में रखे तेन्दूपत्ते, जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 13(III)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है, के विक्रय से भी वसूली योग्य होगी । यदि लाट का पुनः विक्रय करारनामा समाप्ति के आदेश के उपरांत प्रथम निविदा/ई-नीलाम में नहीं हो पाता है तो लाट का विक्रय मूल्य शून्य मानकर क्रेता से हानि वसूली की कार्यवाही की जावेगी । यदि पश्चातवर्ती निविदा/ई-नीलाम में लाट का पुनर्विक्रय हो जाता है तो प्राप्त क्रय मूल्य का समायोजन हानि की राशि में किया जावेगा । यदि हानि की वसूली हो चुकी हो तो ऐसी दशा में प्राप्त क्रय मूल्य क्रेता को भुगतान कर दिया जावेगा परन्तु ऐसी राशि पर क्रेता को कोई ब्याज देय नहीं होगा । करारनामा

समाप्त होने की दशा में प्रथम क्रेता से हानि की वसूली हेतु गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

संबंधित निविदा/ई-नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा/ई-नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां ।

(दो) इसके पश्चात् भी कोई हानि की वसूली शेष हो तो, ऐसी शेष हानि की राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने,

(तीन) यदि ऐसे पुनः विक्रय पर लाट/लाटों (जो प्रयुक्त न हो उसे काट दे) के लिये देय राशि से अधिक राशि प्राप्त होती है तो, संघ पूर्ण राशि प्रतिधारित करने का हकदार होगा और क्रेता का उस पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा ।

(द) हानि की वसूली के लिये किये गये समस्त खर्चे एवं व्यय वसूल करने,

(ई) अधिरोपित की गई समस्त शास्तियां तथा निर्धारित क्षतिपूर्ति, जिसका भुगतान नहीं हुआ हो वसूल करने,

(IV) (अ) यदि करारनामा समाप्ति के उपरांत एवं पत्तों की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व बकायादार क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, ब्याज समस्त देयकर एवं उपकर, अधिरोपित शास्तियां तथा रूपये 10,000/- प्रति लाट की दर से पुर्नजीवन शुल्क आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में कर दिया जाता है तो संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से उक्त करार को पुर्नजीवित कर सकेंगे और करार अवधि को आवश्यक होने पर बढ़ा सकेंगे तथा उपरोक्तानुसार समस्त देय राशि एवं पुर्नजीवन शुल्क के पूर्ण भुगतान के उपरांत ही तेंदूपत्ते के अपरिदत्त स्टाक का उसे परिदान कर दिया जाएगा । क्रेता को परिदान प्राप्त करने से पूर्व कंडिका-5(फ) में दर्शायें अनुसार गोदाम किराये, यदि पुर्नजीवित करार की अवधि करार अवधि की समाप्ति की मूल तिथि के आगे तक बढ़ती है, का भुगतान अग्रिम में करना होगा ।

(ब) यदि क्रेता शर्त क्रमांक 13(IV)(अ) में वर्णित सुविधा नहीं लेना चाहता है एवं लाट के अवशेष क्रय मूल्य के भुगतान की किश्तवार सुविधा प्राप्त करना चाहता है तो क्रेता के आवेदन पर संघ के प्रबंध संचालक यदि चाहें तो स्वविवेक से क्रेता को किश्तवार भुगतान की सुविधा दे सकेंगे एवं उक्त करार को पुनर्जीवित कर सकेंगे, परन्तु इस स्थिति में क्रेता को देय किश्त की तिथि से विलम्बित अवधि के लिये देय राशि समस्त देय कर, उपकर तथा अधिरोपित शास्तियों की राशि, पर 0.045% प्रतिदिन की दर से ब्याज एवं रूपये 10,000/- प्रति लाट की दर से पुर्नजीवन शुल्क देना होगा । पुनरीक्षित किश्तों की तिथियां तथा परिदान अवधि प्रबंध संचालक, संघ स्वविवेक से निर्धारित कर सकेंगे ।

(V) जब भी करार को पुनजीर्वित किया जाता है तो समाप्ति के कारण अधिहरित प्रतिभूति निक्षेप स्वतः प्रत्यावर्तित हो जावेगी ।

(VI) तथापि यदि क्रेता का करारनामा समाप्त नहीं किया गया है एवं करार अवधि समाप्त हो चुकी है तो पत्तों की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, ब्याज, समस्त देयकर एवं उपकर, अधिरोपित शास्तियां तथा रूपये 10,000/- प्रति लाट की दर से अवधि वृद्धि शुल्क एवं गोदाम किराये के रूप में करार अवधि समाप्त होने से प्रत्येक माह या उसके भाग के लिये रूपये 5/- प्रति वास्तविक बोरा की दर से राशि आदि विशेष रूप से

सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है तो संघ के प्रबंध संचालक स्वविवेक से तेंदूपत्ता हटाने की अनुमति क्रेता द्वारा लिखित में आवेदन पत्र देने पर दे सकेंगे ।

14. लेखाओं का रख-रखाव -

क्रेता ऐसे प्रपत्रों में ऐसे लेखा रखेगा, तथा ऐसी पाक्षिक विवरणियां ऐसी तिथियों को या उनके पूर्व प्रस्तुत करेगा जैसा जिला यूनियन के प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाए ।

15. क्रेता के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन -

क्रेता ऐसे समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों, जो उसके द्वारा किये गये जाने के लिए अपेक्षित है, का निर्वहन करेगा और अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन निषिद्ध ऐसे कार्य जहां तक ये इस करार के संदर्भ में असंगत न हो, स्वयं के या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा किये जाने से प्रविरत रहेगा ।

16. स्कंध का बीमा -

(I) क्रेता करारनामा निष्पादित होने के बाद, संघ लाट/लाटों के स्वीकृत क्रय मूल्य के बराबर की राशि का बीमा, केवल निम्नानुसार आकस्मिकताओं से होने वाली हानि के लिए कराएगा - अग्नि, लाईटनिंग, एक्सप्लोजन, इमप्लोजन, इम्पेक्ट, हवाई दुर्घटनाएं, उपद्रव, हड़ताल, दुर्भावनाजन्य क्षति तथा स्पोनटेनियस कम्बश्चन ।

(II) (अ) **यदि क्रेता चाहे तो वह :-**

(i) अन्य प्राकृतिक अथवा अदृष्ट आपदाओं जैसे वर्षा, तूफान, बाढ़, बीमारी, भूकम्प या अन्य किसी भी कारण से हुई क्षति के दिए बीमा अपने स्वयं के व्यय पर करा सकेगा और इन कारणों से हुई हानि या क्षति के लिए संघ का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

(ii) संघ के द्वारा कराए गऐ बीमा की राशि से उच्च राशि के लिए भी बीमा वह अपने स्वयं के व्यय पर करा सकेगा ।

(ब) ऐसी अधिक राशि अथवा उपरोक्त संदर्भित अन्य आपदाओं के लिए बीमा कराने की सूचना क्रेता को जिला यूनियन के प्रबंध संचालक को देनी होगी ।

(III) यहां किये गये प्रावधान के अलावा संघ, किसी भी कारण से तेन्दूपत्ते के स्टाक को हुई क्षति के कारण क्रेता को किसी प्रकार की हुई हानि या लाभ की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा । यदि तेन्दूपत्ता की किसी भी मात्रा की क्षति होती है तो संघ केवल, उसके द्वारा की गई बीमा की राशि तक ही, अर्थात् क्रय मूल्य की सीमा तक ही क्षतिपूर्ति करने के दायित्वाधीन होगा और वह भी केवल उस स्थिति में जब हानि, अग्नि, लाईटनिंग, एक्सप्लोजन, इमप्लोजन, इम्पेक्ट, हवाई दुर्घटनाएं, उपद्रव, हड़ताल, दुर्भावनाजन्य क्षति तथा स्पोनटेनियस कम्बश्चन अर्थात् उपरोक्त उप कंडिका (I) में दर्शित कारणों से हुई हो और यह भी कि यह क्षतिपूर्ति उस स्थिति में ही की जावेगी जबकि क्रेता ने क्रय मूल्य की राशि संघ को पटा दी हो, परन्तु उसने परिदान न लिया हो । यह प्रतिपूर्ति की राशि बीमा कंपनी से प्राप्त होने पर ही क्रेता को दी जाएगी ।

17. तेन्दूपत्ता का परिवहन और अनुज्ञापत्र जारी करना -

क्रेता तेन्दूपत्तों का परिवहन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन अनुज्ञा पत्र के बिना जैसा कि अधिनियम और नियमावली में अनुध्यात है, नहीं करेगा ।

18. स्टाम्प शुल्क का भुगतान -

छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 और उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का सभी समयों पर क्रेता पालन करेगा ।

19. प्रथम प्रभार -

(एक) यथास्थिति क्रय मूल्य या उनकी अतिशेष ऐसी समस्त रकम, जो ई-नीलाम सूचना के निबंधनों तथा शर्तों तथा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों, अधिनियम और नियमों के अधीन देय है, क्रेता द्वारा तेन्दूपत्ता के लिए गये परिदान पर प्रथम प्रभार होगी ।

(दो) क्रेता तेंदूपत्तों का निर्यात या बीड़ी बनाने के लिए उनका उपयोग या किसी अन्य प्रकार से उनका व्ययन तब तक नहीं करेगा, जब तक कि यह प्रभार पूर्णतः उन्मोचित न कर दिया जाये ।

20. न्यायालय की अधिकारिता -

(एक) इस करार के अधीन उद्‌भूत होने वाला कोई विवाद, छत्तीसगढ़ न्यायालयों की अधिकारिता अध्याधीन होगा ।

(दो) यदि कोई क्रेता शासन/संघ के विरूद्ध न्यायालय में जाता है तथा निर्णय शासन/संघ के पक्ष में होता है तो क्रेता न्यायालयीन कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये उत्तरदायी होगा, इसकी वसूली क्रेता से ब्याज सहित की जावेगी ।

21. क्रेता के द्वारा क्रय किये गये लाट का विवरण -

क्रेता के द्वारा क्रय किये गये लाट का विवरण तथा किस दर पर तेन्दूपत्ता क्रय किया गया है, नीचे दिया गया है ।

(राशि रूपये में)

जिला यूनियन	लाट क्रमांक	समिति का नाम	मात्रा मा.बो.	क्रय दर प्रति मा.बो.	क्रय मूल्य	वन विकास उपकर
1	2	3	4	5	6	7

योग

मूल्य संवर्धित कर	मूल्य संवर्धित कर सरचार्ज	अन्य कर	योग (6+7+8+9+10)	आयकर	आयकर सरचार्ज	योग (12+13)
8	9	10	11	12	13	14

जिसके साक्ष्य में, इसमें उपर लिखित दिनांक तथा सन् को मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक ने यहां अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है और उपर नामित क्रेता (क्रेताओं) ने अपने/उनके अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं ।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में मुख्य वन संरक्षक एवं संघ के पदेन महाप्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किये गये, सील लगाई गई और परिदत्त किया गया ।

साक्षीगणः-

1. .....
(हस्ताक्षर)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से

नाम एवं डाक का पूरा पता

2. .....
(हस्ताक्षर)

मुख्य वन संरक्षक एवं संघ के पदेन महाप्रबंधक

नाम एवं डाक का पूरा पता ---------- वृत्त

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में उपर नामित क्रेता द्वारा हस्ताक्षर किये गयेः-

साक्षीगणः-

1. .....
(हस्ताक्षर)

नाम एवं डाक का पूरा पता

क्रेता/क्रेताओं के हस्ताक्षर

नाम-.....

डाक का पता-.....

2. .....
(हस्ताक्षर)

नाम एवं डाक का पूरा पता

Annexure – V

परिशिष्ट-V

(Annexure to e-Auction Notification No. T.P. (Terminated)-LXI dated 20.08.2015)

DEED OF BANK GUARANTEE

(Condition 10 of e-Auction Notice)

In consideration of the Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative Federation Limited, A-25, V.I.P.Estate, Near VIP Club, Khamhardih, Shankar Nagar, Raipur (hereinafter called the 'Federation', which expression shall, where the context so admits, include its successors in office), having agreed to exempt Messers/Shri …… S/o ……. of Village …… Police Station …….. Post …….. District of …….. State …….. (hereinafter called the 'Purchaser of Kreta, which expression shall, where the context so admits, include his heirs executors, administrators and representatives) from immediate full payment of purchase price for Tendu leaves Lot(s) purchased by him to the extent of Rs……. (Rupees …… only) in cash (hereinafter called the said amount) and accept in lien there of Bank Guarantee from the purchaser under the terms and conditions contained in the e-Auction Notification No. T.P.(Terminated) - LXI Dated 20.08.2015 and the General/other terms and conditions of e-Auction and instructions for Bidders contained in Annexure-I of e-Auction notice and the purchaser's agreement dated …… executed in accordance with condition 7 of the e-Auction Notice (hereinafter called Purchaser's agreement) for payment of the purchase price by him in installments in accordance with and for fulfillment of the terms and conditions contained in the said e-Auction Notice and the said purchaser's agreement.

We ……. (hereinafter referred to as Bank which

(indicate the name of Bank)

expression shall, where the context so admits, include their successors and assignees), at the request of the said purchaser do hereby under take to pay to the Managing Director, District Forest Produce Co-operative Union Ltd. And Divisional Forest Officer …….. Division (hereinafter called Managing Director) an amount not exceeding Rs. (in figures) …… Rs. (in words) …… Only against the purchase price of lot(s) purchased by the purchaser and any loss or damage caused to or suffered or, would be caused to or suffered by the Federation by reason of any breach by the said purchaser of any of the terms and conditions contained in the said e-Auction Notice, Purchaser's Agreement or by reason of purchaser's failure to perform the said purchaser's agreement or non observance of any condition of e-Auction notice.

2. We …….. do hereby undertake to pay the amounts due

(indicate the name of Bank)

and payable under this guarantee without any demur and merely on a demand from the Managing Director, District Union stating that the amount claimed is due by way of purchase

price of the lot(s) purchased by the purchaser and /or loss or damage caused to or would be caused to or suffered by the Federation by reason of breach by the said purchaser of any of the terms or conditions contained in the said e-Auction Notice/purchaser's agreement or by reason of purchaser's failure to perform the said purchaser's agreement or non observance of any conditions of e-Auction notice. Any such demand made on the Bank shall be conclusive as regards the amount due and shall be payable by the Bank under this guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs. (in figures) ……. Rs. (in words)……..……. Only).

3. We …… under take to pay to the Managing Director

(indicate the name of Bank)

any money so demanded not with standing any dispute or disputes raised by the purchaser in any suit or proceeding pending before any Court or Tribunal relating thereto, our liability under this present guarantee being absolute and unequivocal. The payment so made by us under this bond shall be a valid discharge of our liability for payment there under and the purchaser shall have no claim against us for making such payment.

4. We …… further agree that the Guarantee herein

(indicate the name of Bank)

contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said purchase's agreement and observance of terms and conditions of e-Auction Notice and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the Federation under or by virtue of the conditions of the said e-Auction Notice/Purchaser's agreement have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till the Managing Director certifies that the terms and conditions of the said e-Auction Notice/Purchaser's Agreement executed by the said purchaser in favor of the Chief Conservator of Forests …… circle have been fully and properly carried out by the Purchaser and accordingly discharges this guarantee. Unless demand or claim under this guarantee is made on us in writing on or before …….. (date) ……...(month) ……. (year), we shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.

5. We …… further agree with the Federation/

(indicate the name of Bank)

Chief Conservator of Forests …….. circle/Managing Director Federation/Chief Conservator of Forests ……..…… circle/Managing Director Union shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligation hereunder to vary any of the terms and conditions of the said e-Auction Notice/Purchase's agreement executed by the purchaser or to extend time for performance by the said purchaser from time to time or to postpone for any time or from time to time exercise of any power exercisable by the Federation/Chief Conservator of Forests …….. Circle/Managing Director Union against the said purchaser and to forebear to enforce any of the terms and conditions relating to the said e-Auction Notice/Purchaser's agreement, and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation, or extension being granted to the said purchaser or for any forbearance act or omission on the part of the Federation/Chief Conservator of Forest …….. Circle/Managing Director, Union or any indulgence shown by the Federation/Chief Conservator of Forest ……. Circle/Managing Director, Union to the said purchaser

of any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have effected of so relieving us.

6. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the said purchaser.

7. We, …… lastly undertake not to

(indicate the name of Bank)

revoke this guarantee during its currency except with the previous consent of the Federation/Chief Conservator of Forest …… Circle/Managing Director, Union in writing.

Dated the ……. Day of…… (month) ……(Year)

Seal of the Bank

(Signature of the Authority

Issuing Bank Guarantee)

(Indicate the name of Bank)

Name …….

Designation ……..

N.B.: Simultaneously with the issuing of this Bank guarantee the Bank has sent separately vide Register A.D. letter No. …….. dated ……. Intimation to the Managing Director, District Forest Produce Co-operative Union Ltd. And Division forest officer …… Division in the form prescribed (sample form enclosed with e-Auction notice) by the Federation that this Bank Guarantee be treated as genuine, for the purpose of the purchaser's agreement

(Signature of the Authority

Issuing Bank Guarantee)

(Indicate the name of Bank)

Name …….

Designation ……..

(Seal of Bank)

REGISTERED A.D.

Sample form enclosed with Annexure-V of e-Auction Notice

Office of the Branch Manager

……………………………….. Branch

…………………..………….Bank

……………………………….(Floor)

………………………………..(Place)

………………………………..(District)

………………………………..(State)

To,

The Managing Director

District Forest Co-operative Union Ltd. ……………………………….. and

Divisional Forest Officer,

……………………………….. Division

……………………………….. Chhattisgarh

Sub:- Issue of Bank guarantee in your favour on account of

M/S/Shri …………………………..………..…………………………..…. S/o …………………………………………………..… of (Village) ………………… (Police Station) …………………………... (Post office) ……………………… (District) ………………………………. (State) ………………………………… for Rs…………………….. (Rupees ……………………………………………………only).

Dear Sir,

I beg to inform you that a Bank Guarantee bearing No ………………………….. dated ……………... for Rs. ……………………………………………… (Rupees ……………………………………… only), has been issued by this Bank, in your favour on account of M/s/Shri …………………………………..…………….. Son of ……………………………………… of ………………………….. village ……………………………….. (Police Station) …………….. (Post Office) ……………………… (District) …………………………. Of……………………………….. (State) ……………………………….…………… For the purpose of guaranteeing the payment of purchase price of Tendu leaves lot(s) purchased by the said M/s/Shri ………………………………………

2. The aforesaid Bank Guarantee has been issued as required under the terms and conditions of the e-Auction Notice issued vide Notification No. …… dated …….. by the Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative Federation and the purchaser's agreement dated ……. Executed in accordance with condition No. 7 of the e-Auction Notice and shall be valid upto …… (date) …….. (month) …….. (year).

3. The Bank Guarantee has been drawn in the proforma prescribed by the Federation in the said e-Auction notice and bears the official seal of the Bank. It has been signed by the issuing authority of the Bank.

Thanking you,

Yours faithfully

Dated:

(Signature of Branch Manager)
(Seal of Bank)

परिशिष्ट - VI

ई-नीलाम अधिसूचना क्रमांक ते.प.(निरस्त)-LXI दिनांक 20.08.2015

जिला यूनियनवार बैंक ड्राफ्ट भुगतान हेतु देय स्थान

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	जहाँ बैंकड्राफ्ट भुगतान हेतु देय होगा
1	2	3
1	बीजापुर	बीजापुर
2	सुकमा	सुकमा
3	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा
4	जगदलपुर	जगदलपुर
5	दक्षिण कोण्डागांव	कोण्डागांव
6	केशकाल	कोण्डागांव
7	नारायणपुर	नारायणपुर
8	पूर्व भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर
9	पश्चिम भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर
10	कांकेर	कांकेर
11	राजनांदगांव	राजनांदगांव
12	खैरागढ़	खैरागढ़
13	दुर्ग	दुर्ग
14	कवर्धा	कवर्धा
15	धमतरी	धमतरी
16	गरियाबंद	गरियाबंद
17	महासमुन्द	महासमुन्द
18	बलौदा बाजार	बलौदा बाजार
19	बिलासपुर	बिलासपुर
20	मरवाही	पेण्ड्रारोड़
21	जांजगीर-चांपा	चांपा
22	रायगढ़	रायगढ़
23	धर्मजयगढ़	धर्मजयगढ़
24	कोरबा	कोरबा
25	कटघोरा	कटघोरा
26	जशपुर नगर	जशपुर नगर
27	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़
28	कोरिया	बैकुण्ठपुर
29	सरगुजा	अम्बिकापुर
30	बलरामपुर	बलरामपुर
31	सूरजपुर	सूरजपुर

परिशिष्ट - VII

(ई-नीलाम अधिसूचना क्रमांक ते.प.(निरस्त)-LXI दिनांक 20.08.2015 का परिशिष्ट)

वनोपज संघ द्वारा मनीरसीद जारी करने हेतु आवेदन पत्र

(जो लागू हो उसे भरे धनादेश अथवा डी.डी. / आर.टी.जी.एस. अथवा एन.ई.एफ.टी./ नेट बैंकिंग)

प्रति,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

विषयः- मनीरसीद जारी करने बाबत् ।

महोदय,

मैं/हम मनीरसीद जारी करने हेतु निम्नानुसार विवरण उपलब्ध कर रहे हैं/हूँ :-

1. क्रेता का नाम - .....
2. आयकर का पी.ए.एन. - .....
3. ई-मेल - .....
4. मोबाइल नंबर - .....
5. वनोपज का नाम - तेन्दूपत्ता/ सालबीज/ हर्रा/ गोंद/ इमली/चिरौंजी गुठली/ महुआ बीज/ लाख
6. संग्रहण वर्ष - .....
7. समायोजन का विवरण -

क्र.	जिला यूनियन का नाम	वर्ष	लाट क्रमांक	राशि
1	2	3	4	5

8. डी.डी. का विवरण (संलग्न)

क्र.	डी.डी. क्रमांक	तिथि	बैंक	राशि
1	2	3	4	5

अथवा

आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी का विवरण (बैंक पावती संलग्न)

जमाकर्ता क्रेता का बैंक विवरण		धनादेश जो आर.टी.जी.एस./ एन.ई.एफ.टी. हेतु उपयोग किया गया	यू.टी.आर. क्रमांक	राशि	दिनांक	संघ खाता का नाम एवं खाता क्रमांक जहाँ राशि जमा की गई
बैंक खाता क्रमांक	बैंक खातेदार का नाम					
1	2	3	4	5	6	7

अतः कृपया उपरोक्तानुसार मनीरसीद जारी कर संबंधित जिला यूनियन को भेजने का कष्ट करें एवं साथ ही हमें भी सूचित करें ।

दिनांकः- .....
संलग्नः-

(हस्ताक्षर)
नाम एवं पता

Annexure – VIII

(Annexure to e-Auction Notification No. (Terminated) - LXI dated 20.08.2015)

TENDU LEAVES e-Auction (TERMINATED LOTS)
(C.G.LAGHU VANOPAJ SANGH)

BIDDER WISE ALLOTMENT LIST

(Condition 7 of e-Auction Notice)

e-Auction Closing Date : …….

Bidder's Name	Bidder's E.M.D. (In Rs.)	Lot No.	Quantity (In Std. bags)	Sanctioned Rate per Std. Bag (In Rs.)	Total Value of Lot (Rs.)

Annexure – IX

(Annexure to e-Auction Notification No. (Terminated) - LXI dated 20.08.2015)

TENDU LEAVES e-Auction (TERMINATED LOTS)
(C.G.LAGHU VANOPAJ SANGH)

LIST OF SUCCESSFUL BIDDERS

(Condition 7 of e-Auction Notice)

e-Auction Closing Date : …….

S.No.	Bidder's Name	Deposited E.M.D. (In Rs.)	Adjusted E.M.D. in Sanctioned Lots (In Rs.)	Unadjusted E.M.D. to be Refunded (In Rs.)

Annexure – X

(Annexure to e-Auction Notification No. (Terminated) - LXI dated 20.08.2015)

TENDU LEAVES e-Auction (TERMINATED LOTS)
(C.G.LAGHU VANOPAJ SANGH)

LIST OF UNSUCCESSFUL BIDDERS

(Condition 7 of e-Auction Notice)

e-Auction Closing Date : …….

S.No.	Bidder's Name	Deposited E.M.D. to be Refunded (In Rs.)

Annexure – XI

Instructions for the Submission of the e-Auction
(Condition 5(II) of e-Auction Notice)

Note: The following steps need to be carried out for online submission of the bids. Detailed instructions for each of the steps are given in the Bidder's Manual on the Home Page of https://cgmfpfed.neml.in.

1. Sequence of steps for online e-Auction process:

Step 1 – To obtain Digital Signature Certificate (DSC) :

The DSC is issued by an approved certifying authority, authorized by the Controller of Certifying Authorities (CCA), Government of India. The individual may obtain information required for issuance of a Class II / Class III DSC from the Controller of Certifying Authorities *(www.cca.gov.in)*. The bidder will have to obtain DSC from any CCA approved agency.

DSC is issued upon receipt of mandatory identity proofs and verification letters attested by a Gazetted Officer. Only upon the receipt of the required documents, a DSC can be issued.

Important Note: The offers submitted online should be signed electronically with a DSC to establish the identity of the bidder. In case, during the process of a particular e-Auction, the user loses his/her DSC (eg. due to virus attack, hardware problem, operating system problem etc.) he may not be able to submit the offer online. Hence the users are advised to back up the certificate and keep the copies at safe places under proper security to be used in case of emergencies.

In case of online e-Auction, the DSC issued to the authorized user of a firm and used for electronic e-Auctioning will be considered equivalent to no-objection certificate / power of attorney to that user. The firm has to authorize a specific individual via an authorization certificate signed by all partners to use the DSC as per Indian *IT Act 2000*. Unless the certificate is revoked, it shall be assumed to represent adequate authority of the user to participate in e-Auction on behalf of the firm for the Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-op. Federation Limited (C.G.M.F.P. Federation) e-Auctions as per *Information Technology Act 2000.* The DSC of this authorized user will be binding on the firm. It shall be the responsibility of management / partners of the registered firm to inform the Certifying Authority or Sub-Certifying Authority, if the authorized user changes, and apply for a fresh digital certificate and issue a fresh ***'authorization certificate'*** for the new user.

The same procedure holds true for the authorized users in a Private / Public company. In this case, the authorization certificate will have to be signed by the directors of the company.

Step 2 – Online registration of intending bidder:

In order to participate in the e-Auctions, the bidder is required to be registered with NCDEX e Markets Ltd. (contact list attached with the news paper advertisement & **Annexure - XI** point no. 2.3). Only after online registration of the bidder, the bidder shall be allowed to participate in the e-Auctions floated by the C.G.M.F.P. Federation using the e-Auction System.

The following Registration Fee will be charged by the Service Provider (i.e. NCDEX e Markets Ltd.) from the bidder:

Sl. No.	Description	Charges	Service Tax @ 12.36%	Total Amount
1.	Online Registration (Valid for One Year)	Rs. 2500/-	Rs. 309/-	Rs. 2809/-

Documents required for Registration with the e-Procurement portal

(I) **In case of New Registration –** The following documents required alongwith online registration form :-

(1) Scanned copy of registration under Chhattisgarh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam 1964 - For Tendupatta and Chhattisgarh Vanopaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam 1969 - For Kullu, Dhawda, Khair and Babool Gums.

(2)

(a) Individual or Proprietorship Firm –

Any one ID Proof and One Address Proof (Attested by Banker or Notary or Gazetted Officer as well as Self Attested)

ID Proof	PAN Card	**Address Proof**	Electricity Bill
	Passport		Passport
	Voter ID		Voter ID
	Driving License		Driving License
			Bank Pass Book

(b) Partnership Firm –

(i) **Any one ID Proof and One Address Proof** (Attested by Banker or Notary or Gazetted Officer as well as Self Attested)

ID Proof	PAN Card	**Address Proof**	Electricity Bill
	Passport		Passport
	Voter ID		Voter ID
	Driving License		Driving License
			Bank Pass Book

(ii) Partnership Deed details which have to be attested by partners with their company seal.

(c) Pvt. & Ltd. Company –

(i) Any one ID Proof and One Address Proof (Attested by Banker or Notary or Gazetted Officer as well as Self Attested)

ID Proof	PAN Card	**Address Proof**	Electricity Bill
	Passport		Passport
	Voter ID		Voter ID
	Driving License		Driving License
			Bank Pass Book

(ii) Any one of the Organization proof issued by Government (Attested by authorized signatory of Organization alongwith organization seal)

- **Certificate of Incorporation**
- **Articles of Incorporation**
- **Memorandum of Association**

(d) Hindu Undivided Family (H.U.F.) –

Any one ID Proof and One Address Proof (Attested by Banker or Notary or Gazetted Officer as well as Self Attested)

ID Proof	PAN Card	**Address Proof**	Electricity Bill
	Passport		Passport
	Voter ID		Voter ID
	Driving License		Driving License
			Bank Pass Book

The scanned copies of all required documents as above and payment proof of required fees for New registration and only payment proof of required fees for renewal are required to submit by the intending bidder through Customer Service Group, NCDEX e Markets Ltd., Mumbai. After verification of the above documents the NCDEX e Markets Ltd. will registered the Bidder and inform by the e-mail regarding Login Id & Password accordingly.

(II) In case of Renewal – No documents required for renewal of registration except scanned copy of registration under Chhattisgarh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam 1964 - For Tendupatta and Chhattisgarh Vanopaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam 1969 - For Kullu, Dhawda, Khair and Babool Gums.

After obtaining the Digital Certificate successfully installed on their system, the bidder have to be online through main page of the e-Auction platform

https://cgmfpfed.neml.in and map their Digital Certificate with their Login Id & Password by clicking on **Upload Digital Certificate**.

After mapping DC with login credentials enter login to the system, click on **"I agree to the terms & Conditions"** & upload your DC everytime you want to login to the system & participate in e-Auctions.

Step 3 – Online payment of E.M.D.

EMD can be paid online through Net banking / RTGS /NEFT mode. In case, the detailed procedure is given in condition 15(i) of **Annexure – I**.

It will be solely the bidder's choice to select any of banks options it is understood that the bidder is aware of the payment cycle and other technical requirements/ payment process & It is bidder's responsibility to see that the amount of EMD is credited to NeML account & the same transaction details are entered at fund deposit page & clicked on Submit if any details are found wrong after submission & it will be bidders responsibility to put the same deposit request again with correct credentials & see that it is approved.

It is mostly dependent on the bank procedure to get the amount credited in NeML's account & then only approval will be given for EMD deposit.

Step 4 – Online E-Auction System:

1. Login to the e-Auction system by entering your login details provided by NCDEX e Markets Ltd., Mumbai.
2. Go to the e-Auction bids screen & then select the commodity eg SASEED 2014 (GODOWNED) & then fill the prices/bids for whichever lots you are interested in & click on submit & then confirm.
3. Same process can be followed everytime you want to bid for any lot.

2. Other Information:

2.1 Set-up of Machine:

In order to operate on the e-Auction System, following minimum operating system and hardware is required.

- Windows 7 & above
- Browser Internet Explorer 8 or 9
- Minimum bandwidth 512 kbps
- Minimum RAM 2 GB
- Java version 1.7.0_75
- Pop up blocker - Disabled

2.2 Submission of Online Offers:

Federation and NCDEX e Markets Ltd.will not be responsible for any failure on part of the bidder in participating in the e-Auction and/or the EMD etc. before

scheduled time and date, for any reason whatsoever, including, inter-alia, non-credit of said amounts of EMD and therefore no claims shall be entertained on these grounds.

Under this online payment system for e-Auction, the bids will not be submitted unless the sufficient EMD is received/ credited before scheduled time and date. Hence, bidder shall remit the said amount well in advance.

The bidder is advised to submit his/her bids well before the cut-off time and date to avoid any inconvenience on account of any problem e.g. system slow down or network problem.

2.3 Helpline:

For any assistance regarding Registration for e-Auction and other points of e-Auction process, fund management, please contact our service provider **:-**

NCDEX e Markets Ltd., Mumbai ***on following contact details***

Phone No. : 022-66473153 / 54
Email ID – askus@ncdexspot.com

Mr. Arun Soni (Mb - 9893957607), Mr. Nishant Sirohi (Mb – 09920457126)
Mr. Sudhir Gupta (Mb- 08099049116), Mr. Omkar Dutta (Mb- 07781000185)

MANAGING DIRECTOR
Chhattisgarh State Minor Forest Produce
(Trading & Development) Co-op.
Federation Limited

Time Schedule

Annexure – XII

(Annexure to e-Auction Notification No. (Terminated) - LXI dated 20.08.2015)

e-Auction Details of Tendu Leaves (Terminated Lots)

(Condition 5(II) of e-Auction Notice)

e-Auction Detail	
General Detail	
e-Auction No /Commodity:	**T.P. (Terminated) - LXI Dated 20.08.2015**
Department Name :	Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative Federation Limited
Scope of work :	Sale of Tendu Leaves (Terminated Lots) of Collection Season 2014 and previous years (Open for those who registered in Divisional Forest Office under Chhattisgarh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam 1964)
e-Auction Details :	Sale of Tendu Leaves (Terminated Lots) of Collection Season 2014 and previous years (Open for those who registered in Divisional Forest Office under Chhattisgarh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam 1964)
Mode of Bids Submission :	Online
e-Auction Type :	English Forward e-Auction
Type of Contract :	Sale of Tendu Leaves
Bidding Type :	National
Consortium :	Not Allowed
Download e-Auction Documents :	Before Login / After Login
Purchaser Location :	Any where in India
Key Dates	
Starting Date and Time of e-Auction :	11/09/2015 from 11:00:00
Ending Date and Time of e-Auction :	17/09/2015 upto 16:00:00
Bid Validity Period (Days) :	Till the decision of e-Auction
Project Duration :	As per e-Auction document

Document to be submitted Physically :	NIL
e-Auction Activity configuration	
Mode of EMD payment :	**Online**
Payment Details	
EMD Amount :	As per e-Auction document
Details	
Eligibility Criteria :	As per e-Auction document
General Terms and condition :	As per e-Auction document
Other Details :	As per e-Auction document
Product/Service/Works Keywords :	Sale of Tendu Leaves